सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

बजट 2012-2013

श्री अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री

का

बजट भाषण

26 मार्च 2012

चैत्र शुक्ल ४, विक्रम संवत् २०६६

बजट 2012 - 2013

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2011—12 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2012—13 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम, मैं बीते वर्ष की विशेष उपलब्धियों का माननीय सदन के सम्मुख उल्लेख करना चाहूँगा।

2. आर्थिक एवं वित्तीय दृष्टि से बीते वर्ष के दौरान राज्य की उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं। राज्य की, कर एवं गैर—कर राजस्व (टैक्स एण्ड नॉन—टैक्स रेवेन्यू) आय में भारी वृद्धि हुई है तथा खर्चों को नियंत्रित करने के परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व खाते में अधिशेष की स्थिति बनी है। वर्ष 2009—10 में 4 हजार 747 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा था, जिसकी तुलना में वर्ष 2010—11 में 1 हजार 55 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus) रहा है तथा चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व अधिशेष 443 करोड़ रुपये का रहेगा। हमारा राजकोषीय घाटा भी कम हुआ है तथा वर्तमान में यह घाटा Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM Act) के अंतर्गत निर्धारित सीमा में ही है। हमारे समग्र ऋण, वर्ष 2005—06 में जहाँ सकल घरेलू उत्पाद के 47 प्रतिशत थे, चालू वर्ष के अंत में ये 29 प्रतिशत ही रह गये हैं।

3. माननीय सदस्यों को विदित है कि गत बजट में मैंने दो महत्त्वपूर्ण योजनाओं, **'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना'** और **'मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना'** की घोषणा की थी। जन—स्वास्थ्य की दृष्टि से, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना

के माध्यम से, राज्य के समस्त एपीएल एवं बीपीएल परिवारों के रोगियों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराना, राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है। योजना आयोग द्वारा भी इस योजना को सराहा गया है। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि गंभीर बीमारी न केवल गरीब आदमी के लिए वित्तीय दृष्टि से भारी साबित हो सकती है वरन संपन्न लोगों की भी आर्थिक स्थिति महंगे इलाज के कारण डगमगा सकती है। निःशुल्क दवा वितरण योजना के साथ–साथ मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के माध्यम से राज्य सरकार सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की लगभग पूर्ण जिम्मेदारी वहन कर रही है। निःशुल्क दवा वितरण योजना के अंतर्गत हम प्रतिदिन लगभग 2 लाख से भी अधिक रोगियों को दवा उपलब्ध करवा रहे हैं।

4. वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार के सहयोग से ''माँ'' जननी शिशु सुरक्षा योजना भी प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत बिना किसी खर्चे के प्रसव की सुविधा एवं प्रसूता तथा नवजात शिशु को स्वास्थ्य सुरक्षा भी प्रदान की गई है। इसमें गर्भवती महिला को प्रसव हेतु, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में 1 हजार 400 रुपये, तथा शहरी क्षेत्रों में 1 हजार रुपये की वित्तीय सहायता के साथ–साथ, परिवहन, भोजन एवं आवश्यक चिकित्सकीय जांचों सहित, सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा सुलभ करवाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, माह फरवरी 2012 तक लगभग 3 लाख 70 हजार महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि, इस योजना के क्रियान्वयन से, राज्य में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में भी कमी लाई जा सकेगी।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

5. हमारा दूसरा प्रमुख कार्यक्रम, **'मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना'** है, जिसके माध्यम से हम गरीब व्यक्ति को छत का आसरा देने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब 'शिक्षा के अधिकार', 'सूचना के अधिकार' और 'ग्रामीण रोजगार के अधिकार' से परिचित हैं, किंतु मेरा मानना है कि, देश के लिए, अब वह समय आ गया है, जब गरीब तबके के लोगों की आवास संबंधी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त हुडको के सहयोग से 3 हजार 400 करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था करते हुए राज्य के 10 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों को, 3 वर्षों की अवधि में निःशुल्क आवास उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना क्रियान्वित की जा रही है। सामान्य रूप से इतनी संख्या में आवास उपलब्ध करवाने में लगभग 22 वर्ष का समय लगता। हमारे राज्य ने इस दिशा में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

6. हमारी गत बजट घोषणा के अनुसरण में **'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियिम 2011'** (Rajasthan Guaranteed Delivery of Services Act) लागू कर दिया गया है। इस एक्ट के लागू होने के पश्चात् फरवरी, 2012 तक 31 लाख 10 हजार आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 30 लाख 33 हजार प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस एक्ट में शामिल समस्त सेवाओं हेतु सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत किये गये आवेदन भी स्वतः ही इस एक्ट के तहत किये गये आवेदन माने जाने का हमनें निर्णय लिया है। इस एक्ट के

प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान लोक सेवा गारंटी आयोग के गठन की मैं घोषणा करता हूँ।

7. आगामी वर्ष के बजट में योजनामद में 33 हजार 141 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि गत दिनों में योजना आयोग ने हमारी वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना का आकार और बढ़ाते हुए 33 हजार 500 करोड़ रुपये का निर्धारित किया है, जो वर्ष 2011–12 की अनुमोदित योजना से 21.8 प्रतिशत अधिक है।

8. आगामी वर्ष के बजट में हमनें महिलाओं, युवाओं, वृद्धजनों, अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, SBC एवं अल्प संख्यक वर्ग के व्यक्तियों, किसानों तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के कल्याण के साथ–साथ आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया है।

9. अब मैं, प्रमुख विभागों के संदर्भ में, आगामी वर्ष की कार्ययोजनाओं का उल्लेख करूंगा।

सार्वजनिक निर्माणः

10. नरेगा योजना के अंतर्गत ढाणियों एवं बसावटों को ग्रेवल रोड से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। सभी ढाणियों एवं बसावटों को ग्रेवल रोड से जोड़कर, चरणबद्ध रूप से इनके डामरीकरण का कार्य संपादित किया जायेगा। आगामी वर्षों में 250 से 500 की आबादी के सामान्य क्षेत्र में आने वाले लगभग 2 हजार 900 गाँवों को डामर की

http://www.finance.rajasthan.gov.in

सड़कों से जोड़ने की योजना है। इस योजना के प्रथम चरण में, वर्ष 2012—13 में नाबार्ड के सहयोग से 800 करोड़ रुपये की लागत से, 3 हजार 302 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का डामरीकरण कर, 1 हजार 500 गाँवों को लाभान्वित करने के कार्य हाथ में लिये जायेंगे। विश्वबैंक के सहयोग से शेष 1 हजार 400 गाँवों को भी डामर की सड़कों से जोड़ने के कार्य आगामी वर्षों में करवाना प्रस्तावित है।

11. राज्य में अधिकांश राज्यमार्गों पर यातायात के बढ़ते दबाव को दृष्टिगत रखते हुए, हमारे द्वारा चालू वर्ष में 250 करोड़ रुपये के राज्यमार्गों के सुदृढ़ीकरण के कार्य प्रारंभ किये गये हैं। इन्हें शामिल करते हुए, आगामी 2 वर्षों में कुल 750 करोड़ रुपये की लागत के 3 हजार किलोमीटर लंबाई के राज्यमार्गों के सुदृढ़ीकरण के कार्य करवाना प्रस्तावित है।

12. राज्य में सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से 2 हजार 630 किलोमीटर लंबाई के 16 मेगा हाइवे के कार्य हाथ में लिये गये हैं, जिनकी लागत 3 हजार 590 करोड़ रुपये है, उनमें ये शामिल हैं:—

क्र.	परियोजना का नाम	कुल लंबाई	कुल लागत
1.	जयपुर—जोबनेर—कुचामन—नागौर—फलौदी	366 किलोमीटर	529 करोड़ रुपये
2.	कोटपुतली—नीमकाथाना—सीकर— कुचामन	193 किलोमीटर	285 करोड़ रुपये
3.	भरतपुर—अलवर—बहरोड़—नारनोल	167 किलोमीटर	249 करोड़ रुपये

4.	मथुरा(राज्य सीमा)– भरतपुर–भाडोती	185 किलोमीटर	421 करोड़ रुपये
5.	चौमूं से महला वाया रेनवाल–जोबनेर	82 किलोमीटर	162 करोड़ रुपये
6.	रावतसर–नोहर–भादरा– हिसार (राज्य सीमा)	118 किलोमीटर	226 करोड़ रुपये
7.	नसीराबाद–केकड़ी–देवली– जहाजपुर–मांडलगढ़	168 किलोमीटर	345 करोड़ रुपये
8.	कीर की चौकी–सलूंबर– आसपुर–डूंगरपुर–सरथुना	167 किलोमीटर	239 करोड़ रुपये
9.	रतलाम (राज्य सीमा) से बांसवाड़ा	38 किलोमीटर	117 करोड़ रुपये
10.	रेवाड़ी (राज्य सीमा)–सींगाना– झुंझुनू –फतेहपुर–लक्ष्मणगढ़– सालासर	114 किलोमीटर	98 करोड़ रुपये
11.	रोहिट–जालौर–रामसीन–रेवदर	178 किलोमीटर	128 करोड़ रुपये
12.	सार्दुलशहर(पंजाब राज्य सीमा) – टिब्बी–ऐलनाबाद (हरियाणा सीमा)	79 किलोमीटर	94 करोड़ रुपये
13.	सिरसा (हरियाणा) –राजगढ़– झुंझुनू–उदयपुरवाटी–रींगस– खाटू श्यामजी	245 किलोमीटर	174 करोड़ रुपये
14.	लूणकरणसर–श्रीडूंगरगढ़– सरदारशहर–तारानगर–राजगढ़	216 किलोमीटर	168 करोड़ रुपये
15.	मेड़ता–गोटन– पीपाड़ सिटी–जोधपुर	102 किलोमीटर	73 करोड़ रुपये
16.	जयपुर–फागी–मालपुरा– केकड़ी–शाहपुरा–मांडल	212 किलोमीटर	282 करोड़ रुपये

13. इसके अतिरिक्त, आगामी 2 वर्षों में सड़क मार्ग से संबंधित जो अन्य कार्य हाथ में लिये जायेंगे उनमें ये शामिल हैंः–

* 2 हजार 600 किलोमीटर लंबाई की मुख्य जिला सड़कों को चौड़ा एवं सुदृढ़ करना।
* पड़ौसी राज्यों को जोड़ने वाली 500 किलोमीटर लंबाई की अंतर्राज्यीय सड़कों का विकास।
* जिन मार्गों पर बरसात के दौरान यातायात अवरुद्ध हो जाता है, ऐसे चिन्हित स्थानों पर क्रॉस ड्रेनेज यानि सी.डी. निर्माण कार्य।
* दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सड़कों को चौड़ा करना, डिवाइडर बनवाना तथा संकेतक लगवाना।

उपरोक्त कार्यों पर लगभग 1 हजार 25 करोड़ रुपये का ख़र्च अनुमानित है।

ऊर्जाः

14. राज्य सरकार प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। गत 3 वर्षों में राज्य की ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 3 हजार 380 मेगावाट की वृद्धि हुई है, जिससे राज्य की वर्तमान उत्पादन क्षमता 9 हजार 480 मेगावाट हो गई है। आगामी वर्ष, राज्य क्षेत्र में 1 हजार 860 मेगावाट तथा निजी क्षेत्र में 540 मेगावाट क्षमता की वृद्धि का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त कवई, जिला बारां में निजी क्षेत्र के अंतर्गत 1 हजार 320 मेगावाट क्षमता की तापीय विद्युत परियोजना का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आगामी वर्ष से उत्पादन प्रारंभ हो जायेगा।

15. बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन सुनिश्चित करने की दृष्टि से 11 हजार 590 मेगावाट क्षमता की 14 परियोजनाओं की स्वीकृति जारी की गई है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

इन परियोजनाओं में राज्य क्षेत्र में 7 हजार 750 मेगावाट क्षमता एवं निजी क्षेत्र में 3 हजार 840 मेगावाट क्षमता की परियोजनायें शामिल हैं। राज्य क्षेत्र की 1320–1320 मेगावाट क्षमता की सूरतगढ़ एवं छबड़ा तापीय परियोजनाओं तथा 160 मेगावाट क्षमता की गैस आधारित रामगढ़ परियोजना के चतुर्थ चरण के कार्य आगामी वर्ष प्रारंभ कर दिये जायेंगे।

16. मैंने अपने गत बजट भाषण में, रतलाम से डूंगरपुर–बांसवाड़ा रेलवे लाइन के निर्माण का उल्लेख किया था। इस रेल लाइन के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय के साथ MoU हस्ताक्षरित कर, 1 हजार 200 करोड़ रुपये के राज्य अंशदान में से प्रथम किश्त के रूप में 200 करोड़ रुपये रेलवे मंत्रालय को उपलब्ध करवा दिये गये हैं।

17. छबड़ा, कालीसिंध एवं कवई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के प्रसारण हेतु राज्य में पहली बार फागी–जयपुर एवं अंता–बारां में 765 केवी के 2 ग्रिड सब–स्टेशन स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु आगामी वर्ष निजी क्षेत्र के माध्यम से 602 करोड़ रुपये की लागत की 2 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जायेगा, जिसके अंतर्गत 400–400 केवी के ग्रिड सब–स्टेशन जयपुर (उत्तर) तथा उदयपुर में स्थापित किये जायेंगे।

18. इसके अतिरिक्त प्रसारण निगम द्वारा आगामी वर्ष 220 केवी एवं 132 केवी के 28 ग्रिड सब–स्टेशनों के कार्य पूर्ण किये जायेंगे तथा 25 नये ग्रिड सब–स्टेशनों पर कार्य प्रारंभ कर दिये जायेंगे। इसके साथ

http://www.finance.rajasthan.gov.in

ही, वर्ष 2012–13 में 33 केवी के 200 नये सब–स्टेशन भी स्थापित किये जायेंगे।

19. गत 3 वर्षों में हमनें 1 लाख 95 हजार कृषि विद्युत कनेक्शन तथा 12 लाख 76 हजार ग्रामीण घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये हैं। साथ ही 1 हजार 983 गाँवों व 15 हजार ढाणियों का विद्युतीकरण किया है।

20. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2012 के अंत तक 300 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों एवं ढाणियों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है। गत तीन वर्षों में इस योजना के अंतर्गत 5 लाख 71 हजार बीपीएल परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं। 100 से 300 आबादी वाली ढाणियों को विद्युतीकृत करने हेतु 1 हजार 356 करोड़ रुपये की 32 पूरक योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये गये हैं, जिनके स्वीकृत होने पर 5 लाख 12 हजार बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

21. विद्युत कनेक्शन की अत्यधिक मांग को देखते हुए हमारे द्वारा गत तीन वर्षों में 100 से कम आबादी वाली ढाणियों में 67 हजार 700 घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं। वितरण निगमों के पास सीमित संसाधन होने के कारण मार्च 2010 तक प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की कार्रवाई की गई। राज्य सरकार द्वारा आगामी 2 वर्षों में 100 से कम आबादी की ढाणियों में 60 हजार घरेलू विद्युत कनेक्शन देने हेतु प्रत्येक वर्ष विद्युत वितरण निगमों को 150 करोड़ रुपये का अनुदान देना प्रस्तावित है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

22. राज्य में अक्षय ऊर्जा की विपुल संभावनाओं को देखते हुए पवन एवं सौर ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं:–

* राज्य में नई पवन ऊर्जा नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है व इसे शीघ्र ही जारी किया जायेगा।
* वर्तमान में राज्य में 1 हजार 880 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हैं। आगामी वर्ष 400 मेगावाट क्षमता की और पवन ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन प्रारंभ कर दिया जायेगा।
* सौर ऊर्जा नीति–2011 जारी की गई है, जिसमें सिंगल विंडो के साथ–साथ रियायती दरों पर भूमि आवंटन के प्रावधान भी किये गये हैं। इस नीति के अंतर्गत प्रदान सुविधाओं के कारण, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत प्रथम फेज़ में पूरे देश में स्वीकृत 1 हजार 100 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं में से हमारे राज्य हेतु 873 मेगावाट की 72 परियोजनायें स्वीकृत हुई हैं।
* राज्य में अब तक 150 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किया जाकर विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है एवं लगभग 50 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के कार्य पूर्ण होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे।
* आगामी वर्ष भडला–जोधपुर में सोलर पार्क की स्थापना का कार्य हाथ में लिया जायेगा।
* दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत, आगामी वर्ष 20 हजार सोलर घरेलू प्रकाश संयंत्र स्थापित किये जायेंगे।

23. आगामी वर्ष 2012–13 में योजनामद के अंतर्गत ऊर्जा क्षेत्र हेतु 12 हजार 726 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जोकि प्रदेश की वार्षिक योजना का 38.4 प्रतिशत है।

जल संसाधनः

24. आगामी वर्ष की योजना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित राज्य की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं हेतु 1 हजार 86 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

25. वर्ष 2012–13 के दौरान चित्तौड़गढ़ की जल सागर, उदयपुर की घोड़ा खोज, भरतपुर की एक्सटेंशन ऑफ अबार सोगर तथा सिरोही की आखेलाव मानसरोवर सिंचाई परियोजनाओं के कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष सात नई लघु सिंचाई परियोजनाएं, हडमतिया–सिरोही, वासा–सिरोही, दोहरी–करौली, आकोली–जालौर, मामतोरी–जयपुर, समरसरोवर–अलवर तथा संतूर माता–बूंदी प्रारंभ की जायेंगी। इन पूर्ण एवं प्रस्तावित लघु सिंचाई परियोजनाओं से लगभग 3 हजार 700 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

26. कोटा जिले की सांगोद तहसील में किशोरपुरा एवं आवां में एनिकट के निर्माण कार्य आगामी वर्ष हाथ में लिये जायेंगे।

27. राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना जिला झालावाड़ जिसकी अनुमानित लागत 195 करोड़ रुपये एवं सिंचित क्षेत्र 6 हजार 827 हैक्टेयर है, आगामी वर्ष प्रारंभ की जायेगी।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

28. आगामी वर्ष सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित संपादित करने वाले कार्य इस प्रकार हैं:—

* भरतपुर जिले में गुड़गांव मुख्य नहर की पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी का रिनोवेशन।
* भैंसासिंह जिला सिरोही, भंवर सेमला जिला प्रतापगढ़, ल्हासी जिला बारां, कनवाडा तथा पीपलाद जिला झालावाड़ तथा तकली जिला कोटा की संशोधित परियोजनायें।
* घाटोल विधानसभा क्षेत्र की भूंगड़ा नहर से खमेरा नहर निकाली जाकर 16 गाँवों के 7 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई कार्य।
* डूंगरपुर जिले की सोम कमला अंबा परियोजना के बांध एवं नहर का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।
* गंग नहर का आधुनिकीकरण।
* गंगानगर शहर से गुजरने वाली ए—माइनर को कवर करने का कार्य।
* कुम्भाराम आर्य लिफ्ट जिससे हनुमानगढ़ और चूरू में क्षमता के अनुसार पूर्ण जल उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी मुख्य नहर की RD 109.9 पर क्रॉस रेगूलेटर का निर्माण।
* एटा सिंगासर लघु सिंचाई परियोजना जिला श्रीगंगानगर से लगभग 1 हजार 966 हैक्टैयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु निर्माण करवाया जायेगा, जिसकी लागत 22 करोड़ रुपये होगी।

29. इन परियोजनाओं पर लगभग 519 करोड़ रुपये का ख़र्च अनुमानित है तथा इनसे 28 हजार 966 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

30. नर्बदा नहर परियोजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 11 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र का विस्तार किया जायेगा तथा परियोजना के कमांड क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई पद्धति से 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र का विस्तार किया जायेगा, जिस पर 225 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे।

31. हरिदेव जोशी नहर जिला बांसवाड़ा के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने के उद्देश्य से इस नहर का 16 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण का कार्य एवं सब–माइनर्स का निर्माण करवाया जायेगा।

32. बारां जिले की परवन वृहद् सिंचाई एवं पेयजल योजना का सर्वे करवाकर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की वर्ष 2009–10 के बजट में घोषणा की गई थी। हमारे द्वारा किये गये निरंतर प्रयासों से इस परियोजना की पर्यावरण एवं अन्य स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं व केवल डूब क्षेत्र में आ रही भूमि के प्रत्यावर्तन की वन मंत्रालय से एवं केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति प्राप्त होना शेष है। आशा है कि, ये स्वीकृतियां भी शीघ्र ही प्राप्त हो जायेंगी। इस परियोजना की कुल लागत 2 हजार 334 करोड़ रुपये है, एवं परियोजना का कार्य आगामी वर्ष प्रारंभ करना प्रस्तावित है। परियोजना हेतु राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा 120 करोड़ रुपये का अंशदान दिया जायेगा। इस परियोजना से बारां, झालावाड़ एवं कोटा जिले के 313 गाँवों के 1 लाख 31 हजार 400 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा 820 गाँवों में पेयजल की सुविधा प्राप्त होने के साथ–साथ बिजलीघरों को पानी भी उपलब्ध होगा।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

सिंचित क्षेत्र विकासः

33. कोटा, बूंदी तथा बारां जिले के, लगभग 2 लाख 29 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में चंबल नदी से सिंचाई की जा रही है। अंतिम छोर तक के किसानों को सिंचाई हेतु पूरा पानी उपलब्ध कराने के लिए संपूर्ण सिंचाई तंत्र का जीर्णोद्धार करवाने की योजना है। इस हेतु सिंचाई तंत्र की दायीं तथा बायीं मुख्य नहर एवं वितरिकाओं के जीर्णोद्धार का कार्य आगामी वर्ष प्रारंभ किया जायेगा। जीर्णोद्धार की 1 हजार 274 करोड़ रुपये की यह योजना नाबार्ड से वित्तपोषित होगी।

पेयजलः

34. आगामी वित्तीय वर्ष में 2 हजार 569 गाँव व ढाणियों, 7 हजार 500 अनुसूचित जाति, 300 अनुसूचित जनजाति एवं 120 अल्पसंख्यक बाहुल्य गाँवों तथा ढाणियों में पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा। शहरी क्षेत्रों में भी 839 अनुसूचित जाति एवं 40 अनुसूचित जनजाति बस्तियों में पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा। साथ ही, शहरी क्षेत्रों में जल वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करने इत्यादि के विभिन्न कार्यों पर 106 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

35. राज्य के लगभग 10 हजार गाँवों व ढाणियों में निर्धारित मात्रा से अधिक फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या है। चालू वर्ष में लगभग 5 हजार 300 गाँवों व ढाणियों में स्थित हैंडपंपों एवं नलकूपों पर डी–फ्लोरीडेशन यूनिट्स लगा दिये गये हैं तथा शेष गाँवों व ढाणियों में भी ये यूनिट्स आगामी वर्ष में लगा दिये जायेंगे।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

36. निम्न पेयजल परियोजनायें, जिनकी कुल लागत 3 हजार 796 करोड़ रुपये है, के कार्य समयबद्ध कार्ययोजना के अनुसार आगामी वर्ष में प्रारंभ कर अगले तीन वर्षों में पूर्ण किये जायेंगेः—

1	बाड़मेर—जैसलमेर जिले के पोकरण, सिवाना एवं बालोतरा कस्बे तथा 171 गाँवों को लाभान्वित करने हेतु पोकरण—फलसूंड परियोजना द्वितीय चरण	590 करोड़ रुपये
2	बाड़मेर जिले के समदड़ी कस्बे और 180 गाँवों को लाभान्वित करने हेतु उम्मेद सागर धवा—समदड़ी परियोजना द्वितीय भाग।	218 करोड़ रुपये
3	बाड़मेर जिले के 172 गाँवों को लाभान्वित करने हेतु बाड़मेर लिफ्ट परियोजना के प्रथम क्लस्टर कार्य	260 करोड़ रुपये
4	पाली जिले के तखतगढ़ कस्बे और 111 गाँवों को लाभान्वित करने हेतु जवाई पाली परियोजना (प्रथम क्लस्टर कार्य)	88 करोड़ रुपये
5	बाड़मेर जिले के 177 गाँवों हेतु नर्मदा गुड़ामालानी परियोजना	160 करोड़ रुपये
6	जोधपुर शहर की परियोजना का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण	550 करोड़ रुपये
7	भरतपुर जिले के 97 गाँवों हेतु भरतपुर—डीग—नगर—कामा (रूपवास) जल वितरण प्रणाली के कार्य (द्वितीय भाग)	162 करोड़ रुपये
8	नागौर जिले के मूंडवा, कुचेरा एवं मेड़ता कस्बों तथा 327 गाँवों हेतु नागौर लिफ्ट परियोजना फेज़ प्रथम (तृतीय एवं चतुर्थ क्लस्टर के कार्य)	431 करोड़ रुपये
9	अजमेर जिले के 113 गाँवों को लाभान्वित करने हेतु अजमेर— पीसांगन परियोजना।	52 करोड़ रुपये

10	अजमेर पुष्कर परियोजना के शेष कार्य।	80 करोड़ रुपये
11	शहरी जलापूर्ति परियोजना मकराना, नागौर के शेष कार्य	21 करोड़ रुपये
12	बारां जिले के अंता कस्बे और 42 गाँवों हेतु नागदा अंता बलदेवपुरा परियोजना।	52 करोड़ रुपये
13	कोटा जिले के 60 गाँवों हेतु बोरवास मंडाना परियोजना।	99 करोड़ रुपये
14	झालावाड़ जिले के 30 गाँवों हेतु भीमनी वाटर सप्लाई परियोजना।	26 करोड़ रुपये
15	झालावाड़ जिले का डग कस्बा एवं 32 गाँवों हेतु माधवी वॉटर सप्लाई परियोजना	28 करोड़ रुपये
16	बीकानेर जिले के 107 गाँवों हेतु कोलायत गजनेर जल आपूर्ति योजना के द्वितीय भाग का कार्य।	65 करोड़ रुपये
17	बीसलपुर परियोजना के अंतर्गत जयपुर के खोनागोरियान व आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति हेतु	21 करोड़ रुपये
18	चूरू जिले के रतनगढ़, राजलदेशर, सुजानगढ़, छापर एवं बिदासर कस्बे एवं 444 गाँवों को लाभान्वित करने हेतु रतनगढ़–राजगढ़ आपणी योजना।	325 करोड़ रुपये
19	झुंझुनू एवं चूरू जिले के राजगढ़ कस्बे और 188 गाँवों को लाभान्वित करने हेतु राजगढ़–बूंगी परियोजना।	248 करोड़ रुपये
20	टोंक, उनियारा एवं टोंक जिले के 436 गाँवों को लाभान्वित करने हेतु बीसलपुर–टोंक–उनियारा परियोजना।	320 करोड़ रुपये

उपरोक्त के अतिरिक्त, Japan International Co-operation Agency (JICA) के सहयोग से प्रस्तावित नागौर लिफ्ट परियोजना फेज़ द्वितीय

जिसकी लागत लगभग 3 हजार करोड़ रुपये है, के अंतर्गत 617 करोड़ रुपये की लागत के कार्य भी, आगामी वर्ष हाथ में लिये जायेंगे।

37. भीलवाड़ा जिले को चंबल का पानी उपलब्ध करवाने हेतु 728 करोड़ रुपये की संशोधित योजना का नाबार्ड एवं राज्य आयोजना से वित्तपोषण करवाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत 473 करोड़ रुपये की लागत से, मेन ट्रांसमिशन लाइन का कार्य आगामी वर्ष हाथ में लिया जायेगा।

38. चंबल से बूंदी शहर को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 80 करोड़ रुपये की लागत से ट्रांसमिशन पाइपलाइन स्थापित करने का कार्य नाबार्ड के सहयोग से आगामी वर्ष प्रारंभ किया जायेगा।

39. नागौर जिले की नावां तहसील के 72 गाँवों एवं ढाणियों को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 125 करोड़ रुपये की लागत की योजना के कार्य नाबार्ड के सहयोग से वर्ष 2012–13 में हाथ में लेना प्रस्तावित है। यह परियोजना आगामी 3 वर्षों में पूर्ण कर ली जायेगी।

40. अलवर जिले में चंबल नदी से जलापूर्ति करने के उद्देश्य से फिज़िबिलिटी सर्वे करवाना प्रस्तावित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्यः

41. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के सुचारु रूप से संचालन हेतु आगामी वर्ष 300 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए धन की कमी नहीं आने दी जायेगी और आवश्यकतानुसार इस प्रावधान को और बढ़ा दिया जायेगा।

42. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि :–

* वर्ष 2012–13 में 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा,
* वर्ष 2012–13 में 100 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे, एवं
* आगामी 2 वर्षों में 3 हजार नये उप–स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

43. इसके साथ ही आगामी वर्षः–

* विभिन्न चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक हजार शैय्याओं की वृद्धि की जायेगी,
* 100 शैय्याओं वाले सभी चिकित्सा संस्थानों में New-Born Stabilisation Units स्थापित की जायेंगी,
* 34 जिला अस्पतालों में 30–30 शैय्याओं के तथा 12 उप–जिला अस्पतालों, 6 सेटेलाइट अस्पतालों एवं 68 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 20–20 शैय्याओं के जननी वार्ड स्थापित किये जायेंगे,
* वर्तमान में संचालित **'108–एम्बूलेंस'** की संख्या में 200 एम्बूलेंसेज की बढ़ोतरी की जायेगी,
* जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर में औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जायेगी, एवं

http://www.finance.rajasthan.gov.in

* जिला चिकित्सालय बीकानेर एवं मण्डोर चिकित्सालय जोधपुर में क्रिटिकल केयर यूनिट्स का निर्माण करवाया जायेगा।

44. बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु कार्ययोजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष राज्य के सभी आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं की 'डी–वर्मिंग' करवाई जायेगी तथा फोलिक ऐसिड की दवा भी उपलब्ध करवाई जायेगी।

45. राज्य में लिंग परीक्षण पर प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा तथा चिकित्सा विभाग में विभिन्न कैडर्स के 120 अतिरिक्त पद सृजित किये जायेंगे। चिकित्सा विभाग द्वारा एक योजना लागू की गई है, जिसमें गैर–कानूनी रूप से लिंग परीक्षण करने वालों के संबंध में सूचना देने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। मैं पुरस्कार की इस राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की घोषणा करता हूँ।

46. चिकित्सा सेवायें सुदृढ़ करने की दृष्टि से लंबे समय के पश्चात् गत तीन वर्षों में 2 हजार 980 चिकित्सा अधिकारियों की नई नियमित नियुक्तियां की गई हैं। चिकित्सा अधिकारियों हेतु टाइम स्केल प्रमोशन स्वीकृत करने के साथ–साथ उनकी एक साल की इंटर्नशिप को परिवीक्षाकाल का हिस्सा मानते हुए, नियमित नियुक्ति के 1 वर्ष की सेवा के पश्चात् ही वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

47. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के अंतर्गत, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त डाक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की

http://www.finance.rajasthan.gov.in

व्यवस्था करने तथा आधारभूत ढांचे में सुधार के परिणामस्वरूप, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में, आशानुरूप बढ़ोतरी हुई है। भविष्य में नियमित डाक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम संचालित करने के उद्देश्य से विभिन्न कैडर्स के 21 हजार नियमित पद सृजित करने की मैं घोषणा करता हूँ। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के टीएसपी क्षेत्र हेतु ANM के एक हजार पद भी सृजित किये जायेंगे। आगामी वर्षों में स्थापित किये जाने वाले 3 हजार उप–स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भी ANM की भर्तियां की जायेंगी।

48. आगामी वर्ष, दंत चिकित्सकों के 58 रिक्त पदों के साथ ही, 250 नवीन पद सृजित कर भरने तथा नेत्र सहायकों के 210 रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

49. संतानहीनता की समस्या का सामना कर रहे दंपत्ति साधनों के अभाव में यदि आवश्यक इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो उनमें निराशा व्याप्त होना स्वाभाविक है। अतः मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऐसे जिलों में जहाँ एक भी फर्टिलिटी क्लिनिक नहीं है, वहाँ प्रथम क्लिनिक की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। ये क्लिनिक बीपीएल दंपत्तियों की निःशुल्क चिकित्सा करेंगे। इसके अतिरिक्त, 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की आय वाले दंपत्तियों द्वारा अनुमोदित फर्टिलिटी क्लिनिक्स में उपचार करवाने पर दवाओं हेतु अधिकतम 20 हजार रुपये की राशि का अनुदान दिया जायेगा।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

चिकित्सा शिक्षाः

50. प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि सेः—

* प्रत्येक मेडिकल कालेज में मेडिसिन विभागों के अंतर्गत जेरियाट्रिक मेडिसिन यूनिट्स की स्थापना की जायेगी, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु इमरजेंसी मेडिसिन की यूनिट्स प्रारंभ की जायेंगी तथा फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहेबीलिटेशन विभागों की स्थापना की जायेगी।
* जननी शिशु सुरक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में कुल 400 महिला एवं 300 शिशु शैय्याओं की वृद्धि की जायेगी।
* सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्ष 2013—14 तक चरणबद्ध रूप से अंडर ग्रेज्यूएट प्रवेश क्षमता में कुल 250 सीटों की वृद्धि करना प्रस्तावित है। इस हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना का विकास किया जायेगा।
* सभी मेडिकल कालेजों के संबद्ध चिकित्सालयों में संक्रमण रहित ऑपरेशन सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यक गतिविधियां प्रारंभ की जायेंगी, जिस हेतु आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।
* उम्मेद अस्पताल, जोधपुर में ओपीडी ब्लॉक की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

आयुर्वेदः

51. राज्य के आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक तथा यूनानी चिकित्सालयों में फर्नीचर एवं उपकरण उपलब्ध करवाने तथा भवनों के

http://www.finance.rajasthan.gov.in

उच्चीकरण एवं मरम्मत पर 21 करोड़ 50 लाख रुपये ख़र्च किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, चिकित्सालयों में आकस्मिक ख़र्च हेतु प्रति चिकित्सालय 10 हजार रुपये की दर से राशि उपलब्ध करवायी जायेगी।

52. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में लगभग 22 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य आगामी वर्ष हाथ में लिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, इस विश्वविद्यालय में 3 विषयों में नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे।

53. आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के अंतर्गत एक **यूनानी मेडिकल कालेज** खोलना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, आगामी वर्ष राज्य के 5 जिला मुख्यालयों में 'ए' श्रेणी के यूनानी चिकित्सालय स्थापित किये जायेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता:

54. जैसाकि माननीय सदन को विदित है, यह वर्ष गुरूदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष में मनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर गुरूदेव को उद्धृत (Quote) करना चाहूँगा:–

'मैं सोया और स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है।
मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है।
मैंने सेवा की और पाया कि सेवा आनंद है।'

'I slept and dreamt that life was joy.
I awoke and saw that life was service.
I acted and behold, service was joy'

55. अब मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से संबंधित बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहूँगाः—

* अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा एवं उदयपुर में स्थित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृहों की क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 की जायेगी तथा बारां, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जालौर, पाली, राजसमंद, टोंक, झालावाड़, झुंझुनू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं सीकर में 50—50 की क्षमता के नये मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह प्रारंभ किये जायेंगे।
* जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा व भरतपुर में वृद्धाश्रम स्थापित किये जायेंगे।
* कुष्ठ रोग से मुक्त विशेष योग्यजनों को बीपीएल के अनुरूप 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ उपलब्ध करवाया जायेगा।
* वर्तमान प्रावधानों के अनुसार 8 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ही निःशक्त पेंशन देय है। 8 वर्ष से कम आयु के बालक—बालिकाओं को भी, पात्र होने की स्थिति में, 250 रुपये प्रतिमाह की दर से निःशक्त पेंशन स्वीकृत की जा सकेगी।
* पोलियो करेक्शन ऑपरेशन हेतु अनुदान राशि 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये की जायेगी।
* HIV AIDS से ग्रसित बच्चों की देखभाल हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से 50—50 क्षमता के दो किशोरगृह संचालित किये जायेंगे।
* स्वयंसेवी संगठनों को आवश्यक सहायता राशि उपलब्ध करवाकर विशेष योग्यजनों हेतु विशेष विद्यालय स्थापित करवाये जायेंगे, ताकि प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसा विद्यालय संचालित हो सके। इस हेतु आगामी वर्ष 6 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

56. ऐसे विशेष योग्यजनों (Differently Abled) हेतु, जो ट्राईसिकल चलाने में सक्षम हों और जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपये वार्षिक तक हो, मोटराइज्ड ट्राईसिकल उपलब्ध कराने की योजना संचालित करना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष 5 करोड़ रुपये की लागत से एक हजार विशेष योग्यजनों को मोटराइज्ड ट्राईसिकल निःशुल्क उपलब्ध करवाने की मैं घोषणा करता हूँ।

57. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं में वृद्ध, विशेष योग्यजन, निराश्रित व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रावधान हैं। इसके उपरांत भी कई बार ऐसे बेसहारा लोग अत्यंत दयनीय परिस्थितियों में आ जाते हैं तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होता है। ऐसी विशेष परिस्थितियों के लिए बेसहारा व्यक्तियों को सहारा देने हेतु मैं एक **'निराश्रित संबल योजना'** प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के अंतर्गत निराश्रित व्यक्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था करने हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ–साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के भी दो प्रतिनिधि होंगे। इस योजना के लिए आगामी वर्ष 5 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

58. अनुसूचित जाति (SC) के व्यक्तियों के कल्याण हेतु निम्न प्रावधान प्रस्तावित हैं:–

* 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति (SC) की आबादी वाले प्रदेश के 100 संबल गाँवों में विभिन्न विभागों के समन्वय से समग्र

विकास कार्य करवाये जायेंगे। इसके साथ ही, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आधारभूत सरंचना के निर्माण के लिए इन गाँवों को 20 लाख रुपये की दर से राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

* अनुसूचित जाति (SC) के छात्रावासों में निवास कर रहे कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर सीडी एवं इंटरनेट के माध्यम से गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में अध्यापन करवाया जायेगा।
* जयपुर शहर में छात्रों के लिए 1 छात्रावास एवं छात्राओं के लिए 2 छात्रावासों तथा भरतपुर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा एवं भीलवाड़ा में छात्राओं के लिए एक–एक कालेज स्तर के छात्रावासों का निर्माण करवाया जायेगा। इस प्रकार 50–50 विद्यार्थियों की क्षमता के 10 छात्रावासों का 13 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाना प्रस्तावित है।
* आगामी वर्ष, अनुसूचित जाति (SC) के 30 हजार व्यक्तियों को बैंकों से ऋण स्वीकृत करवाकर, राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा 30 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त इस निगम द्वारा राष्ट्रीय निगमों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 5 हजार व्यक्तियों को आगामी वर्ष 28 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।

59. विभागीय छात्रावासों में रह रहे अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के प्रतिभावान 50 छात्र एवं छात्राओं हेतु

http://www.finance.rajasthan.gov.in

जयपुर में तथा 50 छात्र एवं छात्राओं हेतु कोटा में, IIT, PMT, RPET इत्यादि परीक्षाओं में बैठने हेतु कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रमुख राजकीय सेवाओं में चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए, जयपुर में छात्रावास एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

60. राज्य में संचालित अनुप्रति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशिष्ट पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों एवं विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को, संघ लोक सेवा आयोग तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन होने पर क्रमशः 1 लाख रुपये एवं 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे IIT, IIM, AIIMS इत्यादि में प्रवेश प्राप्त करने पर 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब मैं घोषणा करता हूँ कि अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल अभ्यर्थियों को भी अनुप्रति योजना का लाभ दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त गैर–अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को, अनुसूचित क्षेत्रों के समान ही, 2 लाख रुपये तक की वार्षिक आय सीमा के आधार पर, अनुप्रति योजना का लाभ देय होगा।

61. देवनारायण योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु वर्ष 2011–12 में घोषित 200 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज

http://www.finance.rajasthan.gov.in

के तहत राज्य सरकार द्वारा 41 देवनारायण आदर्श छात्रावास, 9 आवासीय विद्यालय, नादौती में छात्रों हेतु महाविद्यालय एवं बयाना में छात्राओं हेतु आवासीय महाविद्यालय स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 39 छात्रावासों, 8 आवासीय विद्यालयों एवं 1 महाविद्यालय हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है। 4 स्थानों पर किराये के भवनों में छात्रावास प्रारंभ भी हो गये हैं। इसके साथ ही, इस पैकेज के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभ की योजनायें जैसे छात्रवृत्ति योजना, अनुप्रति योजना, प्रतिभावान विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना, छात्रा साइकिल वितरण योजना, छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, गुरुकुल योजना तथा अनुदान एवं ऋण योजना प्रारंभ की गई है। आगामी वर्ष इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 136 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक कल्याण:

62. राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम के माध्यम से आगामी वर्ष 15 करोड़ रुपये के ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। उद्यम स्थापित करने वाले अल्प आय वर्ग के अल्पसंख्यकों (Minorities) को बैंकों से ऋण लेने पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।

63. वक्फ बोर्ड की कमजोर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को, वर्ष 2009—10 में 45 लाख रुपये, वर्ष 2010—11 में 50 लाख रुपये एवं वर्ष 2011—12 में भी 50 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि वक्फ संपत्तियों में चल

http://www.finance.rajasthan.gov.in

रहे सरकारी कार्यालयों की किराया राशि पुनर्निर्धारित करते हुए संबंधित विभागों द्वारा इनका भुगतान करने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे वक्फ बोर्ड को लगभग 5 करोड़ रुपये की आय होना संभावित है। आगामी वर्ष वक्फ बोर्ड को किराये के पेटे 3 करोड़ रुपये की राशि का अग्रिम भुगतान कर इस राशि से एक वक्फ विकास कोष स्थापित किया जायेगा, जिससे वक्फ बोर्ड एक स्वावलंबी संस्था बन सके।

64. मदरसा शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चालू वर्ष में मदरसों हेतु 500 कंप्यूटर पैराटीचर्स एवं 3 हजार 500 शिक्षा सहयोगियों की भर्ती की गई। आगामी वर्ष भी मदरसों हेतु 1 हजार कंप्यूटर पैराटीचर्स तथा 1 हजार शिक्षा सहयोगियों की भर्ती करने की, मैं घोषणा करता हूँ। इसके अतिरिक्त **'मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना'** संचालित की जायेगी, जिसके माध्यम से मदरसा–भवनों की मरम्मत, अतिरिक्त कमरों का निर्माण एवं आवासीय छात्रावासों का विस्तार किया जायेगा। आगामी वर्ष इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

65. IIT, IIM, इंजीनियरिंग तथा मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वर्ग के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की कालेज फीस का, अधिकतम 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष का, पुनर्भरण करने की मैं घोषणा करता हूँ। प्रदेश के बाहर, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित IIT, IIM, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे, 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वर्ग के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को, एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से मकान किराये का पुनर्भरण किया जायेगा।

66. वर्तमान में, अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 1 लाख 65 हजार विद्यार्थियों को प्री एण्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जा रही है तथा जयपुर, कोटा एवं अजमेर में अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं हेतु छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। आगामी वर्ष उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर में भी 50–50 की क्षमता के बालिका छात्रावास संचालित किये जायेंगे।

67. जयपुर शहर में हज हाउस के निर्माण हेतु वर्ष 2012–13 में 2 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।

जनजाति विकासः

68. प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु अनुसूचित क्षेत्र में आगामी वर्ष 175 माँ–बाड़ी केन्द्र स्थापित करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, कथोड़ी बस्तियों में विभिन्न विकास कार्य करवाने के साथ–साथ 10 माँ–बाड़ी केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

69. अनुसूचित जनजाति (ST) की छात्राओं के लिए बारां में एवं छात्रों के लिए उदयपुर व कोटा में बहुद्देश्यीय छात्रावासों का निर्माण करवाया जायेगा।

70. अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम तथा राजस्थान जनजाति क्षेत्रिय विकास सहकारी संघ के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवा कर, जनजाति के 6 हजार युवाओं को स्वरोजगार हेतु 10 हजार रुपये तक का अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

71. आगामी वर्ष, उदयपुर में **Rajiv Gandhi Tribal University** स्थापित करने की मैं घोषणा करता हूँ। इस विश्वविद्यालय में सामान्य विषयों के अलावा जनजाति विकास एवं संस्कृति से संबंधित विषयों के अध्ययन एवं रिसर्च की सुविधायें भी उपलब्ध होंगी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

72. बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम में आजादी के संग्राम के दौरान लगभग 1 हजार 500 लोग शहीद हुए थे। इस संग्राम के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में मानगढ़ धाम को स्मारक के रूप में विकसित करना प्रस्तावित है, जिस पर 4 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। साथ ही, सिरोही जिले के भीमाणा गाँव में शहीद हुए आदिवासियों की स्मृति में भी एक स्मारक का निर्माण करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त बेणेश्वर, मानगढ़ धाम, घोटिया आंबा तथा भीमाणा के मेला स्थलों पर जनजाति के शिल्पकारों द्वारा निर्मित कलाकृतियों के प्रदर्शन व विपणन की व्यवस्था की जायेगी।

73. दूर–दराज के क्षेत्रों में निवास करने वाले अनुसूचित क्षेत्र के परिवारों को घरेलू सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए 75 प्रतिशत राशि का अनुदान दिया जाकर लगभग 3 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा।

महिला एवं बाल विकासः

74. महिलाओं के सशक्तीकरण तथा उनको शोषण एवं उत्पीड़न से बचाने व संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार

द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं। इसी क्रम में, आगामी वर्ष 1 जून 2012 से 'महिला हैल्पलाइन' स्थापित की जायेगी, जोकि 24 घंटे चालू रहेगी, साथ ही महिला अधिकारिता निदेशालय में एक विशेष महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी।

75. स्वयं सहायता समूह का गठन महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण का महत्त्वपूर्ण माध्यम है। राज्य में 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह गठित किये जा चुके हैं, जिनसे लगभग 20 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इस कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से, आगामी वर्ष, प्रत्येक जिले के एक–एक ब्लॉक में **'धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र'** स्थापित किये जायेंगे, जिनके माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा और उत्पादित माल के विपणन के साथ–साथ महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं हेतु संचालित कार्यक्रमों के लिए एक मंच भी उपलब्ध होगा। महिला स्वयंसहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्री की सरकारी खरीद में प्राथमिकता देने के लिए नियमों में आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे।

76. वर्तमान में, प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में नियोजित लगभग 1 लाख 80 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, साथिनों एवं आशा सहयोगिनियों को देय मानदेय में 1 अप्रेल 2012 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करना प्रस्तावित है। इस घोषणा के परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर लगभग 40 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त भार आयेगा।

वन एवं पर्यावरणः

77. राज्य के 17 जिलों, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़,

http://www.finance.rajasthan.gov.in

चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर एवं सिरोही में नाबार्ड के सहयोग से 988 करोड़ रुपये लागत की परियोजना प्रारंभ की जायेगी, जिसके अंतर्गत, सघन वृक्षारोपण कर जल ग्रहण क्षेत्र विकसित किया जायेगा।

78. पश्चिमी राजस्थान में पशुधन हेतु सेवण घास का विशेष महत्त्व है। अतः 400 हैक्टेयर क्षेत्र का चयन कर, सेवण घास क्षेत्र विकसित करने हेतु योजना क्रियान्वित की जायेगी। इस योजना के माध्यम से राज्य पक्षी गोडावण, जो विलुप्तप्राय प्रजातियों में है, के संरक्षण के लिए habitat को और अधिक उपयुक्त भी बनाया जा सकेगा।

79. आगामी वर्ष रणथम्भौर बाघ परियोजना की भांति सरिस्का बाघ परियोजना के समीपस्थ क्षेत्रों में भी 5 हजार गैस कनेक्शन दिये जायेंगे तथा प्रत्येक कनेक्शन पर 1 हजार 800 रुपये की राशि का अनुदान देय होगा।

80. राज्य के विभिन्न स्थानों पर सड़क दुर्घटनाओं एवं अन्य दुर्घटनाओं के कारण चोटग्रस्त वन्यजीवों के उपचार हेतु उदयपुर, देसूरी–पाली, तालछापर–चूरू, सोरसन–बारां एवं खेजड़ली–जोधपुर में रेसक्यू सेंटर स्थापित किये जायेंगे।

81. आमजन तथा संस्थाओं को, पर्यावरण संतुलन के कार्यों हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **'राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार'** प्रारंभ किया गया है। प्रथम पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपये,

http://www.finance.rajasthan.gov.in

द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3 लाख रुपये तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपये, पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को दिये जायेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राजः

82. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विकसित करने की दृष्टि से **'मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना'** प्रारंभ करने की मैं घोषणा करता हूँ। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवक–युवतियों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे। योजना के माध्यम से 1 लाख युवा बेरोजगारों को आगामी वर्ष लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

83. उपरोक्त योजना के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 'राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका परियोजना' (RRLP), 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना' (NRLP) एवं 'एमपॉवर योजना' (Mitigating Poverty in Western Rajasthan) के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु लगभग 3 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

84. ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने हेतु नवाचारों का विशेष महत्त्व है। आगामी वर्ष में राज्य के जिला कलक्टरों से प्राप्त नवाचार के योग्य प्रस्तावों का प्रायोगिक तौर पर क्रियान्वयन करवाया जायेगा। यह योजना विश्वबैंक की सहायता से

क्रियान्वित की जायेगी, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

85. आमजन की सुविधा हेतु ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति मुख्यालयों पर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के भवनों का नाबार्ड के सहयोग से विस्तार करवाया जायेगा। प्रथम चरण में 295 करोड़ रुपये की लागत से 3 हजार ग्राम पंचायतों एवं सभी 249 पंचायत समिति के सेवा केन्द्रों में ये निर्माण कार्य करवाये जायेंगे। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित सेवा केन्द्रों में कृषि एवं राजस्व विभागों से संबंधित समस्त सुविधायें उपलब्ध होंगी तथा पंचायत समिति मुख्यालयों पर कृषि संबंधी आवश्यक तकनीकी जानकारी के प्रसार के साथ–साथ कृषकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की सुविधा हो सकेगी।

86. नरेगा योजना के अंतर्गत उपलब्ध जलस्रोतों के रख–रखाव तथा इनके जलग्रहण क्षेत्र में आ रही रुकावटों को दूर करवाने के कार्य भी प्राथमिकता से करवाये जायेंगे, ताकि जलस्रोतों में पानी की आवक निर्बाध बनी रहे।

87. माननीय सदस्यों को विदित है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की दृष्टि से हमनें 2 अक्टूबर 2010 को 5 महत्त्वपूर्ण विभागों को फण्ड्स, फंक्शंस एवं फंक्शनरीज़ के साथ इन संस्थाओं को हस्तांतरित किया था। इन हस्तांतरित विभागों की जिम्मेदारी के साथ–साथ पंचायती राज संस्थायें कई महत्त्वपूर्ण योजनायें भी

क्रियान्वित कर रही हैं, जिनमें महात्मा गांधी नरेगा योजना भी शामिल है। अतः पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न संवर्गों के 23 हजार से अधिक पद सृजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक–एक कंप्यूटर उपलब्ध करवाया जायेगा, ताकि विभिन्न योजनाओं की मोनिटरिंग एवं लेखा संधारण इत्यादि में सुविधा हो सके, जिस पर लगभग 25 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे।

88. आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा डांग, मगरा एवं मेवात विकास योजना लागू की गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, बजट प्रावधानों में और वृद्धि प्रस्तावित की जा रही है। डांग एवं मगरा विकास योजनाओं हेतु चालू वर्ष के 10–10 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर 20–20 करोड़ रुपये एवं मेवात विकास योजना के चालू वर्ष के 15 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये करने की, मैं घोषणा करता हूँ।

89. ग्रामीण जनभागीदारी योजना के माध्यम से सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के साथ–साथ, श्मशान एवं कब्रिस्तान की भूमि पर चारदीवारियों के निर्माण का भी प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत अब श्मशानों एवं कब्रिस्तानों में छाया एवं पानी की व्यवस्था भी की जा सकेगी और इसके लिए राज्य सरकार 90 प्रतिशत की दर से अंशदान उपलब्ध करवायेगी। योजना हेतु, चालू वर्ष के 20 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर, आगामी वर्ष 35 करोड़ रुपये करने की मैं घोषणा करता हूँ।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

90. जलग्रहण एवं भू–संरक्षण हेतु वर्ष 2009–10 से अब तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के 32 जिलों की 202 पंचायत समितियों में 604 परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल लागत 4 हजार 861 करोड़ रुपये है तथा इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से 34.84 लाख हैक्टेयर बारानी क्षेत्र उपचारित किया जायेगा।

91. आगामी वर्ष, कोटा, भरतपुर एवं बीकानेर में प्रत्येक स्थान पर 2 करोड़ रुपये की लागत से नवीन पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जायेगी, ताकि पंचायती राज जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक संभाग में सुविधा उपलब्ध हो सके।

92. वर्तमान में 115 ग्राम पंचायतों के भवन नहीं हैं तथा 307 पंचायतें ऐसी हैं, जिनके भवन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। चरणबद्ध रूप से, इन सभी 422 ग्राम पंचायतों के भवनों का 43 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त, बैठकों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों इत्यादि के आयोजन एवं आमजन के लिए आवश्यकतानुसार विश्राम स्थल के रूप में उपयोग हेतु जिला परिषद परिसरों में 25–25 लाख रुपये की लागत से भवन निर्माण कार्य करवाया जायेगा।

93. संपूर्ण स्वच्छता अभियान (Total Sanitation Campaign) के अंतर्गत आगामी वर्ष 3 हजार 300 विद्यालयों और 5 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में टॉयलेट्स का निर्माण करवाया जायेगा, जिस पर 15 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत आयेगी।

कृषिः

94. खरीफ व रबी में बुवाई के समय डीएपी व अन्य उर्वरकों की विशेष मांग रहती है। किसानों के लिए समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष 2 लाख 50 हजार मैट्रिक टन डीएपी, 2 लाख मैट्रिक टन एसएसपी, 50 हजार मैट्रिक टन कॉंप्लैक्स उर्वरक एवं 1 लाख मैट्रिक टन यूरिया का राजफैड के माध्यम से अग्रिम भंडारण किया जायेगा।

95. महिला कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विषय में अध्ययनरत, उच्च माध्यमिक कक्षाओं की छात्राओं की प्रोत्साहन राशि 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये, बीएससी एवं एमएससी की छात्राओं की प्रोत्साहन राशि 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये तथा पीएचडी करने वाली छात्राओं की प्रोत्साहन राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति वर्ष करने की मैं घोषणा करता हूँ।

96. स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अंतर्गत जोधपुर में एवं कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर के अंतर्गत, सुमेरपुर–पाली में कृषि महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे।

97. राज्य में जल की कमी को देखते हुए फसलों की सिंचाई हेतु वर्षा जल संग्रहण व उपलब्ध जल के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। अतः फार्म पोण्ड निर्माण पर देय अनुदान राशि की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये तथा डिग्गी निर्माण हेतु देय अनुदान राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये

करने की, मैं घोषणा करता हूँ। आगामी वर्ष, 15 हजार फार्म पोण्ड्स व डिग्गियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

98. आगामी वर्ष, बूँद–बूँद सिंचाई संयंत्रों की स्थापना पर 90 प्रतिशत की दर से अनुदान देने हेतु 140 करोड़ रुपये, तथा फर्टीगेशन आधारित ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहित करने हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

99. विद्युत ऊर्जा पर निर्भरता कम करने एवं कृषि क्षेत्र में गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, आगामी वर्ष राज्य में 2 हजार 200 सौर ऊर्जा आधारित पंपसेट स्थापित किये जायेंगे, जिसके लिए कृषकों को अनुदान देने हेतु 70 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

100. बागवानी फसलों को लोकप्रिय बनाने एवं कृषकों को आवश्यक जानकारियां सुलभ कराने के उद्देश्य से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर, अलवर जिले के 40 हैक्टेयर क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर पार्क विकसित किया जायेगा।

101. बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों में मक्का के हाइब्रिड बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीज–ग्राम योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

102. कृषि गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन, कृषकों को नवीनतम कृषि तकनीकों एवं योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित

करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारियों के कुल 750 नवीन पद सृजित किये जायेंगे।

103. काश्तकार द्वारा अपने खेत में प्रसंस्करण इकाइयों (processing units) की स्थापना हेतु, पूंजीगत निवेश पर अनुदान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 2 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

सहकारिताः

104. माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से वितरित फसली ऋणों की राशि में गत तीन वर्षों में दुगने से भी अधिक बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2008–09 में जहाँ 2 हजार 500 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये थे, वहीं वर्ष 2011–12 में 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक के फसली ऋण वितरित किये गये। आगामी वर्ष 8 हजार करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरित करना प्रस्तावित है। राज्य सरकार, सहकारी बैंकों को 100 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवायेगी, ताकि वे लक्ष्य के अनुसार संसाधनों की व्यवस्था कर सकें।

105. सहकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के कृषकों को आगामी वर्ष स्वीकृत किये जाने वाले 1 लाख रुपये तक के फसली ऋण समय पर चुकाने पर **संपूर्ण ब्याज राशि, अनुदान के रूप में देने की,** मैं घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

106. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भवन निर्माण हेतु, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ द्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण लेकर वर्ष 1971–72 से वर्ष 1993–94 की अवधि में ऋण उपलब्ध करवाये गये थे। इनमें से लगभग 15 हजार परिवारों के ऋण अभी भी बकाया हैं। इन 15 हजार परिवारों की अत्यन्त कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैं इनके बकाया ऋणों एवं ब्याज को माफ करने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ को 20 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

107. सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने की दृष्टि से ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय–विक्रय सहकारी समितियों को कार्यालय एवं गोदाम निर्माण हेतु भूमि का निःशुल्क आवंटन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, 100 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों को, कार्यालयों एवं गोदामों के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाये जायेंगे। साथ ही, 10 क्रय–विक्रय सहकारी समितियों को, 25 लाख रुपये की दर से, कार्यालयों और गोदामों के निर्माण हेतु, अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

108. राज्य की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सहकारी बैंकों से सीधे जोड़कर Anywhere Banking की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोर बैंकिंग प्रणाली स्थापित की जायेगी। आगामी वर्ष, इस कार्य के लिए, 25 करोड़ रुपये का अनुदान देना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, पेंशनर्स को निःशुल्क दवा वितरण में सुविधा प्रदान करने की

दृष्टि से कॉनफेड व उपभोक्ता भंडारों के कंप्यूटराइजेशन हेतु राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फण्ड से 7 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

पशुपालनः

109. पशुपालन हमारे किसानों के लिए आजीविका का एक प्रमुख साधन है। **'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना'** की तर्ज पर आगामी वर्ष से सभी राजकीय पशु चिकित्सालयों में प्रदेश के पशुधन की चिकित्सा हेतु सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाने की मैं घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 60 करोड़ रुपये का ख़र्च आयेगा।

110. प्रदेश के पशुपालकों को अधिक दूध उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान राज्य डेयरी फैडरेशन के माध्यम से 25 करोड़ रुपये की लागत से पाली में केटल फीड प्लांट एवं 40 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर में पाऊडर मिल्क प्लांट का निर्माण करवाया जायेगा।

111. पशुधन संख्या व आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 400 स्थानों पर नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 200 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। जोधपुर में पशुपालक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

खाद्य एवं नागरिक आपूर्तिः

112. वर्तमान में जयपुर स्थित राज्य उपभोक्ता मंच की 4 संभागीय मुख्यालयों पर सर्किट बैंचें स्थापित हैं। अब शेष 2 संभागीय मुख्यालयों, अजमेर एवं भरतपुर में भी, राज्य उपभोक्ता मंच की सर्किट बैंचों की स्थापना की जायेगी।

113. राज्य उपभोक्ता मंच एवं जिला उपभोक्ता मंच, जयपुर हेतु केन्द्र सरकार के सहयोग से लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत से नये भवन का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

114. वर्ष 2010–11 के बजट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार द्वारा अनाज के थोक विक्रेताओं के कमीशन की दर 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति क्विंटल तथा खुदरा विक्रेताओं के कमीशन की दर 8 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति क्विंटल की गई थी। अब यह प्रस्तावित है कि थोक विक्रेता का कार्य कर रही संस्थाओं के कमीशन की दर को 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये प्रति क्विंटल तथा खुदरा विक्रेताओं के कमीशन की दर 20 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति क्विंटल किया जाये।

115. राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उपभोक्ताओं को वर्तमान में 'राज' ब्रांड के अंतर्गत फोर्टीफाइड आटा, आयोडाइज्ड नमक एवं चाय उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाई जा रही है। निगम द्वारा आगामी वर्ष से खाद्य तेल, दालें, साबुन एवं मसाले आदि भी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाये जायेंगे।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

116. पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटराइजेशन किया जायेगा। कंप्यूटराइजेशन पर लगभग 20 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा।

श्रम एवं रोजगारः

117. युवाओं का कौशल विकास हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ताकि इन्हें रोजगार प्राप्त करने अथवा स्वयं का उद्यम विकसित करने हेतु सक्षम बनाया जा सके। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लगभग 5 लाख परिवार गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इन बीपीएल परिवारों के युवाओं को आजीविका प्रदान करने हेतु 'राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम' के माध्यम से **'मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल रोजगार योजना'** लागू करने की मैं घोषणा करता हूँ।

118. इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष शहरी बीपीएल परिवारों के एक लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। सफलतापूर्वक कौशल प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् युवाओं को प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से 8 माह का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करवाया जायेगा। जो युवा स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहेंगे उन्हें बैंकों से ऋण दिलवाया जायेगा तथा ऋण पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान प्रदान किया जायेगा। इस योजना हेतु 125 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

119. इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम तथा RKCL के माध्यम से विशेष दक्षता

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 75 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।

120. आगामी वर्ष, ऐसे स्थानों को चिन्हित करते हुए जहाँ मांग सर्वाधिक है, वहाँ राज्य में 20 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) स्थापित करने की मैं घोषणा करता हूँ, जिन पर 130 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

121. रोजगार कार्यालयों को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ते हुए, राज्य में इलेक्ट्रोनिक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की भी स्थापना की जायेगी, ताकि युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ–साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार दिलवाने तथा समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके। जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेलों के आयोजन के साथ–साथ अन्य स्थानों पर भी रोजगार विभाग की पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संभागीय स्तर पर मोबाईल वैन उपलब्ध करवाई जायेगी।

122. राज्य में स्थापित 'Building and Other Construction Workers' Welfare Board' द्वारा अब तक लगभग 58 हजार निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत किया जाकर उन्हें बोर्ड द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। ऐसे निर्माण श्रमिक, जिनके पंजीकरण को एक वर्ष हो गया है, मैं उन्हें निःशुल्क साइकिल उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूँ।

123. निर्माण क्षेत्र में बढ़ते हुए कार्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा संभाग मुख्यालयों में निर्माण अकादमियां स्थापित की गई

हैं। अब वृहद् स्तर पर जयपुर में राज्य स्तरीय निर्माण अकादमी स्थापित करना प्रस्तावित है। यह अकादमी हैदराबाद में कार्यरत राष्ट्रीय निर्माण अकादमी की तर्ज पर स्थापित की जायेगी। इसके माध्यम से आगामी तीन वर्षों में 1 लाख ग्रामीण, अर्द्ध शहरी तथा शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को निर्माण संबंधी विभिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जायेगा। इस अकादमी की स्थापना पर लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

124. राज्य के ऐसे बेरोजगार स्नातक युवाओं, जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक है, को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने का मैं प्रस्ताव करता हूँ। विशेष योग्यजन (Differently Abled) बेरोजगार स्नातक युवाओं हेतु बेरोजगारी भत्ते की दर 600 रुपये प्रतिमाह होगी। यह भत्ता उन बेरोजगार स्नातक युवाओं को देय होगा जो भत्ते हेतु आवेदन के दिनांक से पूर्व न्यूनतम 1 वर्ष तक राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में निरंतर पंजीकृत थे, किंतु उन्हें आवेदन की तिथि तक भी रोजगार प्राप्त नहीं हुआ हो। बेरोजगारी भत्ता अधिकतम दो वर्ष की अवधि अथवा प्रार्थी के नियोजन प्राप्त करने तक की अवधि के लिए देय होगा।

शिक्षाः

125. शिक्षक–छात्र अनुपात में सुधार का शिक्षा की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव होता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए गत तीन वर्षों में विभिन्न विषयों के 8 हजार 395 द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति की गई तथा वर्तमान में 11 हजार 865 द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति

http://www.finance.rajasthan.gov.in

प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त 41 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इसी क्रम में, आगामी वर्ष, 20 हजार शिक्षकों की और भर्ती करने की मैं घोषणा करता हूँ।

126. इसके अतिरिक्त उर्दू विषय में स्कूल व्याख्याताओं के 100 पद, वरिष्ठ अध्यापकों के 200 पद तथा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 500 पद सृजित कर, आगामी वर्ष इन पदों पर नियुक्ति करना प्रस्तावित है।

127. विभिन्न विषयों के शिक्षण कार्य हेतु, 'कल्प योजना' (Computer Aided Learning Programme) के अंतर्गत 7 हजार 310 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर स्थापित किये जा चुके हैं। आगामी वर्ष, एक हजार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 16 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से कंप्यूटर स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु यह आवश्यक है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित किये जायें। राज्य में लगभग 24 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें से लगभग 12 हजार विद्यालयों में ही पुस्तकालय की सुविधा है। शेष सभी 12 हजार विद्यालयों में भी पुस्तकालय स्थापित करना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम पर लगभग 16 करोड़ रुपये का ख़र्च प्रस्तावित है।

128. **'राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना'** लागू करना प्रस्तावित है जिसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षा में मेरिट के अनुसार, प्रथम 10–10 हजार बालक–बालिकाओं को पुरस्कार के रूप में लैपटॉप दिये जायेंगे। साथ

http://www.finance.rajasthan.gov.in

ही, प्रदेश के समस्त 24 हजार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, प्रत्येक विद्यालय में आठवीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को, अर्थात कुल 24 हजार विद्यार्थियों को 'विशेष लर्निंग लैपटॉप्स' पुरस्कार के रूप में उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। इस योजना के क्रियान्वयन पर आगामी वर्ष लगभग 70 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

129. अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जोधपुर तथा कोटा में एक–एक आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

130. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 **(RTE Act)** एवं इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों की पृष्ठभूमि में नये विद्यालय खोलना एवं विद्यालयों का क्रमोन्नयन करना प्रस्तावित किया जा रहा है। वर्ष 2012–13 में 1 हजार नये प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं 600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की मैं घोषणा करता हूँ।

131. वर्तमान में, राज्य की 79 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनमें राजकीय माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं। अतः इन सभी ग्राम पंचायतों में एक–एक उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करना प्रस्तावित है।

132. राज्य में संचालित 200 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा सुविधा

http://www.finance.rajasthan.gov.in

उपलब्ध करवाई जा रही है। अब यह प्रस्तावित है कि इन सभी 200 आवासीय विद्यालयों की छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। इस हेतु, वर्तमान में उपलब्ध सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए, आगामी 2 वर्षों में 140 विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा।

133. वर्तमान में 'इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना' का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशिष्ट पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष योग्य वर्ग की छात्राओं को दिया जा रहा है, जिसका दायरा बढ़ाते हुए अब सामान्य वर्ग की छात्राओं को भी इसका लाभ दिया जाना मैं प्रस्तावित करता हूँ।

134. राज्य में कार्यरत विद्यार्थी मित्र, शिक्षाकर्मी, मदरसा शिक्षा सहयोगी एवं लोकजुंबिश के अधीन आने वाले शिक्षकों तथा विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा उनको देय मानदेय में वृद्धि करने की मांग की जाती रही है। इन सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में मैं यह घोषणा करता हूँ कि 31 मार्च 2010 को देय मानदेय की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। ये बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2012 से प्रभावी होंगी तथा यदि किसी कर्मचारी को पूर्व दरों के अनुसार अधिक मानदेय अनुज्ञेय होता है तो उसमें कमी नहीं की जायेगी।

135. प्रदेश में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों में विशिष्ट प्रशासनिक क्षमतायें विकसित करने की दृष्टि से 'राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान' (SIEMAT) को

http://www.finance.rajasthan.gov.in

क्रियाशील किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत अजमेर में, एकेडेमिक स्टॉफ ट्रेनिंग कालेज की स्थापना की जायेगी, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी।

तकनीकी शिक्षाः

136. माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि पूर्व में हमारे प्रदेश में तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों की कमी के कारण प्रदेश के युवाओं को अन्य प्रदेशों में अध्ययन प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता था। वर्ष 1999 में निजी क्षेत्र के माध्यम से तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थान स्थापित करने की जो नीति अपनाई गई थी, उसके परिणामस्वरूप प्रदेश में वर्तमान में इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, एमबीए, एमसीए, पोलिटेक्निक एवं आईटीआई इत्यादि के, निजी संस्थानों सहित 1 हजार 600 से अधिक संस्थान स्थापित हो चुके हैं तथा इनमें लगभग 2 लाख 30 हजार विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता उपलब्ध है।

137. गत बजट घोषणा के अनुसरण में कोटा में आईआईआईटी (ट्रिपल आई.टी.) स्थापित करने हेतु शहर के संस्थानिक क्षेत्र में 100 एकड़ भूमि आरक्षित कर दी गई है तथा इस संस्थान की स्थापना की 128 करोड़ रुपये की लागत में से 35 प्रतिशत राशि अर्थात 45 करोड़ रुपये का अंशदान उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा सहमति भी दी जा चुकी है। इस संस्थान की स्थापना हेतु निजी निवेशकों का चयन कर लिया गया है जोकि लागत का 15 प्रतिशत अंशदान देंगे। मुझे माननीय सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि अभी हाल ही में 14 मार्च को

http://www.finance.rajasthan.gov.in

नई दिल्ली में आयोजित बैठक में इस संस्थान की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार ने सहमति प्रदान कर दी है।

138. युवा छात्र–छात्राओं में उद्यमिता एवं इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी जोधपुर में Innovation and Incubation Centre की स्थापना की जायेगी, जिसके लिए राज्य सरकार, आगामी वर्ष 1 करोड़ 50 लाख रुपये का अंशदान देगी। इसके अतिरिक्त तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में एक नैनो टेक्नोलोजी केन्द्र की भी स्थापना की जायेगी।

139. राज्य में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत अजमेर, झालावाड़ एवं भरतपुर में एक–एक तथा बीकानेर में 2, कुल 5 अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं। आगामी वर्ष, इन महाविद्यालयों को, मूलभूत सुविधायें जुटाने एवं आवश्यक निर्माण कार्यों हेतु, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा 2–2 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।

140. English Language Lab तथा Library Computerisation and Digital Library हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों (Engineering Colleges) को 40–40 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।

उच्च शिक्षाः

141. वर्षों से लंबित मांग को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा, बी.एड. तथा एम.एड. पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षा विभाग के अधीन

करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में, वर्ष 2012–13 में, ग्रामीण क्षेत्रों के 5 राजकीय महाविद्यालयों, कालाडेरा, चिमनपुरा, खैरवाड़ा, भोपालगढ़ तथा नसीराबाद में बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम वर्ष में प्रत्येक महाविद्यालय में 100 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

142. आगामी वर्ष, 10 स्नातक महाविद्यालयों एवं 5 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में नये विषय प्रारंभ किये जायेंगे तथा 5 स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। राजकीय महाविद्यालयों की मरम्मत, पुनर्निमाण एवं रख–रखाव हेतु 6 करोड़ रुपये तथा विज्ञान प्रयोगशालाओं में आवश्यक उपकरण, रसायन इत्यादि खरीदने हेतु 4 करोड़ रुपये ख़र्च किये जायेंगे।

143. ऐसे तहसील मुख्यालय, जहाँ कोई भी महाविद्यालय स्थापित नहीं है, वहाँ निजी सहभागिता से महाविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं एवं राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण एवं पुस्तकालय हेतु 2 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना का विस्तार करते हुए ऐसे तहसील मुख्यालयों पर जहाँ महाविद्यालय तो स्थापित हैं किंतु जनसंख्या के आधार पर एवं मांग को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त महाविद्यालय स्थापित करना उचित प्रतीत होता है, वहां राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय की स्थापना हेतु 1 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी। इस हेतु पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

144. पूर्व में अलवर, भरतपुर एवं सीकर में विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना थी। अब मैं प्रस्तावित करता हूँ कि अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय, भरतपुर में बृज विश्वविद्यालय तथा सीकर में शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी तथा इस हेतु राज्य सरकार 10–10 एकड़ निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाने के साथ ही 5–5 करोड़ रुपये का अनुदान भी उपलब्ध करवायेगी। इसके अतिरिक्त, गत दशक में, पत्रकारिता एवं संचार के क्षेत्र में हुए अत्यधिक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में भी एक उच्च स्तर के शैक्षणिक संस्थान की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है, ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक युवा दक्षता प्राप्त कर इस क्षेत्र में कार्य कर सकें। अतः जयपुर में **'पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय'** स्थापित करना प्रस्तावित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पर 10 करोड़ रुपये ख़र्च किये जायेंगे।

145. सभी 142 राजकीय महाविद्यालयों में आगामी तीन वर्षों में अंग्रेजी भाषा लैब एवं पुस्तकालयों का कंप्यूटराइजेशन करवाने के लिए चरणबद्ध रूप से प्रत्येक महाविद्यालय हेतु 20–20 लाख रुपये उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।

युवा मामले एवं खेलः

146. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर राजस्थान का गौरव बढ़ाने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुझे माननीय सदन

को बताते हुए हर्ष है कि, खिलाड़ियों को देय पुरस्कार राशियों में दस गुना वृद्धि की जा रही है :—

* अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 50 हजार के स्थान पर 5 लाख रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 30 हजार रुपये के स्थान पर 3 लाख रुपये एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 20 हजार रुपये के स्थान पर 2 लाख रुपये।
* राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 25 हजार रुपये के स्थान पर 2 लाख 50 हजार रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 10 हजार रुपये के स्थान पर 1 लाख रुपये एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 5 हजार रुपये के स्थान पर 50 हजार रुपये।
* राज्य स्तरीय स्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 10 हजार रुपये के स्थान पर 1 लाख रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 5 हजार रुपये के स्थान पर 50 हजार रुपये एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 2 हजार रुपये के स्थान पर 20 हजार रुपये।

147. बूंदी, चूरू, झुंझुनू, पाली, अलवर, मकराना—नागौर, चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़ में खेल संकुलों के निर्माण हेतु 16 करोड़ रुपये एवं खेल स्टेडियमों के संधारण हेतु 2 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है। जोधपुर के गोशाला खेल कांप्लेक्स में 5 करोड़ रुपये की लागत के सिंथेटिक ट्रेक के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपये का अंशदान दिया जाना प्रस्तावित है।

148. प्रदेश में प्रत्येक उपखंड स्तर पर खेल स्टेडियमों के निर्माण अथवा उच्चीकरण हेतु स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं, निजी

http://www.finance.rajasthan.gov.in

सहयोग अथवा माननीय सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा राशि उपलब्ध करवाने पर राज्य सरकार द्वारा भी 10 लाख रुपये तक की Matching Grant दिया जाना प्रस्तावित है।

149. राज्य के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं के विकास की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार के सहयोग से, उदयपुर में जनजाति खेल अकादमी की स्थापना करना प्रस्तावित है, जिस पर 5 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसके अतिरिक्त जैसलमेर में बास्केट–बॉल अकादमी, करौली में कबड्डी अकादमी एवं कोटा में नौकायन अकादमी स्थापित करने हेतु आगामी वर्ष 50–50 लाख रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे। जोधपुर स्थित फुटबाल अकादमी को भी 50 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

150. आगामी वर्ष एक Young Intern Programme प्रारंभ किया जायेगा, जिसके अंतर्गत MBA, MCA तथा अन्य पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के विभागों में तीन से छः माह की अवधि के लिए Intern के रूप में रखा जायेगा। इस कार्यक्रम से युवाओं को सरकार की कार्यशैली से जोड़ने के साथ–साथ सरकार में भी नवाचार संभव हो सकेगा।

151. जयपुर में राज्य स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी का इस वर्ष आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न राज्यों के लगभग 11 हजार स्काउट गाइड्स ने भाग लिया। यह जम्बूरी प्रदेश में लगभग 32 वर्ष के अन्तराल

के बाद आयोजित की गई थी तथा यह हर्ष का विषय है कि हमारे राज्य को इस जम्बूरी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। आगामी वर्ष स्काउट की गतिविधियों से 10 हजार राजकीय एवं निजी विद्यालयों को और जोड़ा जायेगा। स्काउट एवं गाइड हेतु 3 करोड़ रुपये के वर्तमान प्रावधान को बढ़ाकर वर्ष 2012–13 में 6 करोड़ रुपये करना प्रस्तावित है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

152. आगामी वर्ष प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु, 10 करोड़ रुपये की लागत से रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक पर आधारित 50 संयंत्रों की स्थापना की जायेगी।

153. विज्ञान को ग्रामीण क्षेत्रों तक लोकप्रिय बनाने हेतु आगामी वर्ष नवलगढ़–झुंझुनू में 3 करोड़ रुपये की लागत से एक विज्ञान उद्यान विकसित किया जायेगा।

154. सैटकॉम (Satellite Communication) नेटवर्क का उपयोग करते हुए 'मुख्यमंत्री कोचिंग योजना' के माध्यम से अल्पआय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग कक्षायें संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में यह कोचिंग जिला परिषद एवं पंचायत समिति कार्यालयों में स्थित केन्द्रों पर दी जा रही है। आगामी वर्ष इसका विस्तार राज्य के 250 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किया जायेगा, ताकि अधिकाधिक विद्यार्थी इसका लाभ प्राप्त कर सकें।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार:

155. सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) हेतु आधारभूत संरचना के विकास में निरंतर प्रगति करते हुए हमारा प्रदेश राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस परियोजना

http://www.finance.rajasthan.gov.in

के अंतर्गत स्टेट डाटा सेंटर स्थापित करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न सेवायें ऑन–लाइन उपलब्ध करवाने हेतु ई–मित्र व सीएससी नेटवर्क में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। इस परियोजना के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं में मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हैसियत व आय प्रमाण पत्र, परिवहन निगम की टिकिटों की बिक्री एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं इत्यादि से संबंधित विभिन्न सेवायें शामिल हैं। सुगम एकल खिड़की के माध्यम से अब तक इस वर्ष लगभग 26 लाख लोगों को विभिन्न सेवायें प्रदान की गई हैं।

156. नागरिकों को विभिन्न सेवायें उपलब्ध करवाने में कॉल सेंटर एक महत्त्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हुआ है। वर्तमान में अनेक राजकीय विभागों एवं राजकीय उपक्रमों ने अपने कॉल सेंटर स्थापित कर रखे हैं। मैं यह घोषणा करता हूँ कि आगामी वर्ष एक एकीकृत कॉल सेंटर की स्थापना की जायेगी जिसके द्वारा विभिन्न विभागों की सेवायें एक ही टेलीफोन नंबर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा सकेंगी।

157. राज्य में I.T. की सहायता से विभिन्न विभागों की अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। साथ ही, I.T. विभाग को सुदृढ़ करने की दृष्टि से तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर तकनीकी अधिकारी एवं कर्मचारियों के 750 पद सृजित किये जायेंगे।

158. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यालयों में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान सचिवालय में

http://www.finance.rajasthan.gov.in

प्रायोगिक तौर (experimental basis) पर बायोमैट्रिक प्रणाली लागू की गई है। यह व्यवस्था चरणबद्ध रूप से सचिवालय के साथ–साथ जिला कलक्टर कार्यालयों एवं अन्य राजकीय कार्यालयों में लागू की जायेगी।

उद्योग:

159. वस्त्र उत्पादन में राजस्थान का महत्त्वपूर्ण स्थान है। टपूकड़ा–अलवर में विकसित किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्र में 250 एकड़ भूमि, रियायती दर पर रेडिमेड वस्त्रों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके माध्यम से लगभग 36 हजार से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से एवं 56 हजार व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा। इस परियोजना में 850 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। वस्त्र उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी 'वस्त्र–2012' का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें अन्य राज्यों के साथ–साथ विभिन्न देशों की कपड़ा उद्योग से संबंधित कंपनियां भी भाग लेंगी।

160. राजस्थान, देश में एक ऑटो–हब के रूप में उभर रहा है। वर्तमान में बड़ी ऑटो उत्पादन इकाइयां जैसे होण्डा सीएल कार, होण्डा मोटर साइकिल व स्कूटर, अशोका लेलैण्ड, आईशर आदि राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। ऑटो सेक्टर को और अधिक विकसित करने हेतु खुशखेड़ा और टपूकड़ा के औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 700 एकड़ भूमि में दो 'ऑटो जोन' बनाये जायेंगे।

161. जापानी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु नीमराना में 'जापानी जोन' के नाम से औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर 31 इकाइयों को

भूमि आवंटित कर दी गई है। इनमें से 11 इकाइयों में उत्पादन भी प्रारंभ हो चुका है एवं 5 हजार 700 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होना संभावित है। इस प्रगति से प्रेरित होकर रीको द्वारा घीलोट–अलवर में 500 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराई जायेगी।

162. दिल्ली–मुंबई इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना में लघु तथा जोधपुर– पाली–मारवाड़ क्षेत्र में वृहद् National Manufacturing and Investment Zone स्थापित किये जायेंगे।

163. राजस्थान वित्त निगम को, सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, 10 करोड़ रुपये की अंशपूंजी उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त निगम को पूर्व में उपलब्ध करवाये गये 15 करोड़ 65 लाख रुपये के इक्विटी ऋणों को अंशपूंजी में परिवर्तित किया जायेगा।

पैट्रोलियम एवं खनिजः

164. राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा के दोहन व मूल्य संवर्धन आधारित उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल दिया जायेगा, जिससे कि रोजगार के अधिकाधिक अवसर उत्पन्न हों। लाइम स्टोन आधारित सीमेंट प्लांट तथा लिग्नाइट आधारित पॉवर प्लांट की स्थापना के अतिरिक्त राज्य में खनिज आयरन आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु भी प्रयास किये जा रहे हैं। इस क्रम में स्टील ऑथरिटी आफ इंडिया लिमिटेड एवं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड से खनन क्षमता विकसित करने एवं स्टील प्लांट्स लगाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार

द्वारा केन्द्र सरकार को मैसर्स स्टील आथरिटी आफ इंडिया लिमिटेड को 864 हैक्टेयर एवं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को 1 हजार 43 हैक्टेयर क्षेत्रफल के खनिज आयरन के खनन पट्टों के आवेदन भेजे हुए हैं। इसके अतिरिक्त, करौली जिले में निजी क्षेत्र के स्टील प्लांट की स्थापना हेतु Iron Ore के पट्टों के आवंटन के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये जा रहे हैं।

165. राज्य सरकार, अवैध खनन को रोकने के लिए, कृत–संकल्प है। अवैध खनन को रोकने हेतु, गत दो वर्षों में बॉर्डर होमगार्ड्स लगाये गये थे, जिसके अच्छे परिणाम रहे हैं। अतः इस व्यवस्था को आगामी वर्ष भी यथावत जारी रखा जायेगा। अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम हेतु **'खनिज रक्षा दल'** की लगभग एक हजार जवानों की एक बटालियन के गठन की मैं घोषणा करता हूँ।

166. खनन क्षेत्रों में सुविधा विस्तार की दृष्टि से जोधपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, नागौर तथा भीलवाड़ा जिले के खनन क्षेत्रों में माइनिंग सड़कों का बीओटी बेसिस पर निर्माण किया जायेगा। इन सड़कों के निर्माण की लागत लगभग 500 करोड़ रुपये है। जिन क्षेत्रों में खनन समाप्त हो चुका है, उन क्षेत्रों के रिक्लेमेशन हेतु लगभग 11 करोड़ रुपये के कार्य संपादित करवाये जायेंगे।

167. राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड द्वारा बीकानेर क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से नई जिप्सम ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना की जायेगी। इस यूनिट की स्थापना से रोजगार के अवसर भी विकसित होंगे।

168. राज्य में पैट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना के लिए ओएनजीसी की मांग के अनुसार वित्तीय रियायतें देने हेतु राज्य सरकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है जोकि रिफाइनरी की स्थापना के प्रति राज्य सरकार के दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। ओएनजीसी द्वारा अवगत करवाया गया है कि पैट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना हेतु निवेश में सहयोग के लिए उनका ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ विचार–विमर्श चल रहा है। राज्य सरकार के स्तर पर भी केन्द्र सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय तथा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से विचार–विमर्श जारी है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा बाड़मेर में भूमि अवाप्ति हेतु स्पेशल परपज़ वहीकिल (SPV) के गठन की मंजूरी दी गई है।

परिवहनः

169. मैनें अपने गत बजट में, ग्राम पंचायत मुख्यालयों को बसों से जोड़ने हेतु पीपीपी मॉडल पर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवाओं में विस्तार की घोषणा की थी। इस दृष्टि से निगम द्वारा विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। इस कार्ययोजना की क्रियान्विति एवं निगम के वित्तीय पुनर्गठन हेतु, राज्य सरकार द्वारा, 215 करोड़ रुपये की अंशपूंजी देना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, निगम को 500 करोड़ रुपये के बांड्स जारी करने हेतु राजकीय गारंटी देने का निर्णय भी लिया गया है। मुझे विश्वास है कि, इस महत्त्वपूर्ण निर्णय से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राज्य में सुदृढ़ यातायात व्यवस्था प्रदान करने में सक्षम होगा।

170. वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश की जनता को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जयपुर और भरतपुर में

नये प्रादेशिक परिवहन कार्यालय खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त भिवाड़ी–अलवर में एक नया जिला परिवहन कार्यालय स्थापित किया जायेगा। साथ ही, सुजानगढ़–चूरू, फलौदी–जोधपुर, आबू रोड–सिरोही, किशनगढ़–अजमेर, बालोतरा–बाड़मेर, चौमूं–जयपुर में स्थित उप–जिला परिवहन कार्यालयों को जिला परिवहन कार्यालयों में क्रमोन्नत करने की योजना है।

171. परिवहन विभाग के अंतर्गत आगामी वर्ष एक प्रवर्तन शाखा (Enforcement Wing) का गठन किया जायेगा, ताकि अवैध वाहनों के संचालन एवं ओवरलोडिंग पर नियंत्रण किया जा सके।

स्थानीय निकाय एवं शहरी विकासः

172. मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना की आशातीत सफलता को देखते हुए **'मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना'** प्रारंभ करने की मैं घोषणा करता हूँ। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष शहरी क्षेत्र के 1 लाख बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने हेतु प्रत्येक परिवार को 50–50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। शहरी स्थानीय निकायों या अन्य संस्थाओं द्वारा इस योजना की क्रियान्विति हेतु प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपये का ऋण लिया जायेगा।

173. आगामी वर्ष, नगरीय स्थानीय निकायों हेतु 350 करोड़ रुपये की untied grant का प्रावधान करना प्रस्तावित है। नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा इस राशि का उपयोग, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित

जनजाति (ST) एवं अल्पसंख्यक (minority) बाहुल्य वाली कच्ची बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने, कच्ची बस्तियों में फ्लश शौचालयों का निर्माण करने, रैनबसेरों का निर्माण व उनमें रियायती दर पर भोजन उपलब्ध करवाने तथा सीवरेज प्रणाली विकसित करने आदि कार्यों हेतु किया जा सकेगा। आगामी वर्ष 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान संचालित किया जायेगा, तथा अभियान के दौरान स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त कार्यों हेतु स्वीकृतियां जारी की जायेंगी।

174. किशनगढ़, मकराना एवं राजसमंद की संगमरमर एवं अन्य खनिजों की खदानों से निकलने वाले अपशिष्ट से इन स्थानों के पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः पर्यावरण सुधार की दृष्टि से इन क्षेत्रों का बहुद्देश्यीय विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तीनों स्थानों पर 5–5 करोड़ रुपये की लागत के कार्य करवाये जायेंगे।

175. जोधपुर शहर से उत्पन्न होने वाले सीवेज़ के उपचार हेतु स्थापित STP की पर्याप्त क्षमता नहीं होने के कारण untreated sewage water जोजरी नदी में जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि भूमि के खराब होने के साथ–साथ जोधपुर व बाड़मेर जिले के गाँवों में प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। इस समस्या के समाधान हेतु सालावास और बासनी बेंदा में कुल 90 एमएलडी क्षमता के दो STP स्थापित करना प्रस्तावित है, जिनकी लागत 90 करोड़ रुपये है। आगामी वर्ष इस हेतु 25 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।

176. वर्ष 2011–12 के बजट में मैंने 32 ROBs के निर्माण की घोषणा की थी, जिनमें से 6 ROBs का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है तथा

http://www.finance.rajasthan.gov.in

शेष ROBs का कार्य आने वाले जून माह में प्रारंभ हो जायेगा। इसी क्रम में, वर्ष 2012–13 में 10 और ROBs एवं RUBs के निर्माण का कार्य, नागौर, मकराना, बालोतरा, बीकानेर, नावां, फालना, कल्याण नगर–जयपुर, अर्जुन नगर–जयपुर एवं इंदूनी फाटक जगतपुरा–जयपुर में हाथ में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, भरतपुर–मथुरा रोड पर स्थित ब्रिज का पुनर्निमाण भी करवाया जायेगा। RUIDP के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ में ग्राम चंदेरिया के पास RUB का निर्माण एवं जयमार्ग अलवर स्थित ROB को, 2 लेन से 4 लेन में परिवर्तित किया जायेगा।

177. माननीय सदस्यों को विदित है कि महान सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में 800वां उर्स आयोजित होने जा रहा है। दरगाह क्षेत्र में लगभग 17 करोड़ रुपये की लागत से कायड विश्राम स्थल का विकास, दरगाह के आस–पास सड़कों का सुदृढ़ीकरण, अंडरग्राउंड केबलिंग, टायलेट्स एवं फुट ओवर ब्रिज का निर्माण इत्यादि कार्य करवाये गये हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत से सड़क विस्तारीकरण इत्यादि के कार्य नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा करवाये जा रहे हैं। कायड विश्राम स्थल पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पानी की पाइप लाइन बिछाने एवं अन्य कार्यों हेतु 5 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।

178. सभी जिला मुख्यालयों के नगरीय निकायों को नगर परिषद का दर्जा देने की दृष्टि से मैं घोषणा करता हूँ कि शेष जिला मुख्यालयों, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर,

http://www.finance.rajasthan.gov.in

जालौर, झालावाड़, नागौर, सवाईमाधोपुर, सिरोही, दौसा, बारां, प्रतापगढ़, करौली एवं राजसमंद की द्वितीय श्रेणी की नगरपालिकाओं को नगर परिषदों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

179. RUIDP के तृतीय चरण के अंतर्गत एशियन डवलपमेंट बैंक से 250 मिलियन यूएस डॉलर जो लगभग 1 हजार 250 करोड़ रुपये होते हैं, के ऋण की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है। इस परियोजना की कुल लागत 1 हजार 800 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य सरकार का अंशदान 550 करोड़ रुपये है। आगामी वर्षों में संबंधित जिलों में इस परियोजना का कार्य किया जायेगा।

180. विद्युत खपत में कमी करने के लिए बड़े शहरों में स्ट्रीट लाइटिंग हेतु कम खपत वाली एल.ई.डी. लाइटों का उपयोग किये जाने की योजना लागू की जायेगी। प्रथम चरण में यह योजना जयपुर शहर में क्रियान्वित की जायेगी।

181. जयपुर एवं अजमेर के पश्चात् अब जोधपुर व कोटा में भी शहरी बस यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु आगामी वर्ष 20 करोड़ रुपये की लागत से 73 बसें क्रय कर संचालित की जायेंगी।

182. माननीय सदस्यों को विदित है कि जयपुर महानगर की आबादी लगभग 40 लाख है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। वर्ष 2041 तक यह आबादी 92 लाख होना अनुमानित है। शहर में रोजाना 1 लाख से अधिक फ्लोटिंग पॉपुलेशन का आवागमन होता है। साथ ही, शहर में चलने वाले 16 लाख वाहनों, जिनमें 2 लाख

http://www.finance.rajasthan.gov.in

50 हजार चौपहिया वाहन शामिल हैं, के कारण यातायात पर भारी दवाब उत्पन्न हो जाता है। इस पृष्ठभूमि में जयपुर मैट्रो रेल परियोजना का क्रियान्वयन, शहर के यातायात को सुगम बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। मैट्रो रेल के संचालन से जयपुर के बाहर से आने वाले लाखों लोगों को सस्ता एवं सुगम यातायात सुलभ होगा। पर्यटन की दृष्टि से भी इस परियोजना का विशेष महत्त्व है एवं इसके कारण आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रथम चरण का कार्य जून 2013 तक पूर्ण कर लिया जायेगा एवं रेल का परिचालन भी प्रारंभ हो जायेगा। द्वितीय चरण का कार्य पीपीपी मॉडल पर करवाया जायेगा। केन्द्र सरकार से इस परियोजना हेतु 20 प्रतिशत अंशदान प्राप्त होना संभावित है। जयपुर मैट्रो रेल परियोजना के दोनों चरणों की कुल लागत लगभग 9 हजार 700 करोड़ रुपये है।

पर्यटनः

183. ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गत वर्षों में 19 जिलों के 20 गाँवों का विकास किया गया है। इस क्रम को जारी रखते हुए, आगामी वर्ष बांसवाड़ा में तलवाड़ा, डूंगरपुर में देवसोमनाथ, प्रतापगढ़ में देवगढ़, बीकानेर में लाडेरा, सीकर में रामगढ़ शेखावाटी, भरतपुर में चकौरा रूपवास तथा नागौर में बडू गाँवों में 50—50 लाख रुपये की लागत से विकास कार्य करवाये जायेंगे, ताकि इन गाँवों का पर्यटन की दृष्टि से महत्त्व विकसित हो सके। इसके अतिरिक्त जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, उदयपुर एवं सरदार शहर में हैरिटेज वॉक विकसित किये जायेंगे।

184. शिव मंदिर चन्द्रेसल–कोटा, शिव मंदिर कवालजी–बूंदी, प्राचीन स्थल चंद्रावती–सिरोही, कांतन बावड़ी औसियां–जोधपुर, कृष्णकुंड–अलवर, हेमावास डेम–पाली एवं सालेश्वर महादेव–जयसमंद, ख्वाजा फखरूद्दीन चिश्ती की दरगाह, सरवाड़–अजमेर, तन्हा पीर की दरगाह–जोधपुर, गुरुद्वारा बागोर साहिब–भीलवाड़ा, चन्द्रप्रभु जैन मंदिर, तिजारा–अलवर, सेक्रेड हार्ट चर्च, घाटगेट–जयपुर के आस–पास के क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जायेगा। इन स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं साइनेज के कार्य करवाने के साथ–साथ उच्च स्तर की जनसुविधाओं का विकास भी करवाया जायेगा। इन कार्यों पर आगामी वर्ष, लगभग 6 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे।

185. आगामी वर्ष फुलबारी की नाल–उदयपुर, घूमर बावड़ी–उदयपुर तथा शेरगढ़–बारां में लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्य करवाये जायेंगे, ताकि इन स्थानों को ईको–ट्यूरिज्म के रूप में विकसित किया जा सके।

186. हमारे राज्य में आयोजित किये जाने वाले मेले और मनाये जाने वाले त्यौहारों का पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्त्व है। अतः पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से, रणकपुर–पाली एवं आभानेरी–दौसा के उत्सवों को व्यापक स्तर पर मनाया जायेगा।

कला एवं संस्कृतिः

187. राज्य के ख्यातनाम कलाकारों एवं कला संस्थाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

188. राज्य में स्थापित, 8 भाषा एवं अन्य अकादमियों को आयोजना मद में बजट अनुमानों 2011–12 में प्रावधित राशि 4 करोड़ 32 लाख रुपये को बढ़ाकर, आगामी वर्ष 7 करोड़ रुपये करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, हिन्दी साहित्य अकादमी के अंतर्गत पंडित जनार्दन राय नागर की स्मृति में 1 लाख रुपये का पुरस्कार प्रारंभ कर, प्रत्येक वर्ष साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जायेगा।

189. प्रदेश में, प्राचीन महत्त्व के अनेक स्मारक हैं, जिनकी उचित सार–संभाल नहीं हो रही है। अतः स्मारकों को सूचिबद्ध किया जाकर इनके पुनरुद्धार एवं मरम्मत का कार्य हाथ में लिया जायेगा, जिसके लिए आगामी वर्ष 5 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष 2 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से, डिजिटल म्यूजियम स्थापित किया जायेगा।

190. सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से, राज्य के पारंपरिक लोक कलाकारों हेतु, बीमा योजना लागू करने की मैं घोषणा करता हूँ। इस हेतु वार्षिक प्रीमियम राशि में से 90 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी एवं शेष 10 प्रतिशत राशि कलाकारों द्वारा वहन की जायेगी।

देवस्थानः

191. राज्य के लगभग 10 हजार से अधिक सहायता प्राप्त मंदिरों को दी जाने वाली वार्षिक अनुदान राशि में दुगुनी वृद्धि करते हुए न्यूनतम राशि 1 हजार 200 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित करना प्रस्तावित है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

इसके अतिरिक्त राजकीय मंदिरों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के कार्यों के साथ–साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं हेतु विभिन्न कार्य करवाने के लिए आगामी वर्ष 5 करोड़ रुपये ख़र्च किये जायेंगे।

192. गंगोत्री धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु धराली में एक विश्रांति गृह का निर्माण करवाया जायेगा, जिस पर 20 लाख रुपये की लागत आयेगी।

गृहः

193. राज्य में पुलिस एवं सुरक्षा संबंधी विषयों में उच्च स्तर की शिक्षण सुविधा सुलभ कराने एवं इन विषयों में शोध को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जोधपुर में एक **'सरदार पटेल पुलिस एवं सुरक्षा विश्वविद्यालय'** (Sardar Patel Police University) स्थापित करने की मैं घोषणा करता हूँ। इस विश्वविद्यालय में पुलिस एवं सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों में अध्ययन की सुविधा के साथ–साथ औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, तकनीकी विकास एवं संचार क्रांति की पृष्ठभूमि में पुलिस के सम्मुख आ रही नई चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से पुलिस बल को सक्षम बनाने हेतु शोध की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस विश्वविद्यालय में पुलिस में भर्ती से पूर्व एवं सेवारत पुलिस कर्मियों हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रारंभिक तौर पर 20 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जायेगी।

194. वर्तमान में प्रदेश में 773 पुलिस थाने कार्यरत हैं, जिनमें से 346 शहरी एवं 427 ग्रामीण पुलिस थाने हैं। भारत सरकार के सुझाव को

http://www.finance.rajasthan.gov.in

दृष्टिगत रखते हुए हमनें शहरी पुलिस थानों की न्यूनतम नफरी को बढ़ाकर 60 एवं ग्रामीण पुलिस थानों की न्यूनतम नफरी को बढ़ाकर 45 करने का निर्णय लिया है।

195. राज्य के 40 में से 29 पुलिस जिला मुख्यालयों में पृथक् से महिला पुलिस थानें खोले जा चुके हैं। आगामी दो वर्षों में शेष 11 पुलिस जिला मुख्यालयों, टोंक, दौसा, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर पश्चिम, झुंझुनू, धौलपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं करौली में महिला पुलिस थानें खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त आगामी दो वर्षों में, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू, जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर, राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, अजमेर, कोटा शहर एवं बूंदी में नवीन SC तथा ST प्रकोष्ठ स्थापित किये जायेंगे।

196. आगामी वर्ष नमाना–बूंदी, नागौरी गेट–जोधपुर शहर, सुरवाल–सवाईमाधोपुर तथा बोरखेड़ा–कोटा शहर में नये थानें स्थापित किये जायेंगे। इसके साथ ही NCR क्षेत्र में 4 नये थानें खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त नादनपुर–धौलपुर, समेजा कोठी–श्रीगंगानगर, बोरूंदा–जोधपुर ग्रामीण, बस्सी–चित्तौड़गढ़ एवं रामदेवरा–जैसलमेर की पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

197. आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम हेतु पुलिस रेंज मुख्यालयों, जयपुर व जोधपुर के कमीश्नरेट तथा राज्य विशेष शाखा में बम खोजी एवं निस्तारण दस्तों का गठन किया जायेगा। साथ ही जयपुर

http://www.finance.rajasthan.gov.in

तथा जोधपुर में संवेदनशील स्थानों पर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से 150 सीसी टीवी कैमरे लगाये जायेंगे।

198. गत वर्ष 12 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती करने की घोषणा की गई थी, जो प्रक्रियाधीन है। आगामी 2 वर्षों में 10 हजार और पुलिस कर्मियों की भर्ती की जायेगी, जिसमें 3 हजार पुलिसकर्मी यातायात पुलिस हेतु, 1 हजार पुलिसकर्मी जेल सुरक्षा हेतु, 1 हजार पुलिसकर्मी खनिज सुरक्षा दल हेतु एवं 1 हजार पुलिसकर्मी State Disaster Response Force के शामिल हैं। इस प्रकार पूर्व में हो चुकी 8 हजार भर्तियों को मिलाकर, हम कुल 30 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती करेंगे। इन भर्तियों से पुलिस थानों की न्यूनतम नफरी में बढ़ोतरी तथा नये थानों एवं चौकियों की स्थापना के फलस्वरूप आवश्यक पुलिसकर्मी उपलब्ध कराये जा सकेंगे। पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण हेतु अलवर में नये प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के साथ–साथ विद्यमान 7 प्रशिक्षण केन्द्रों की प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि की जायेगी। इसके अतिरिक्त जोधपुर में कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की जायेगी।

199. पुलिस थानों, उप–अधीक्षक कार्यालयों एवं नवीन पुलिस प्रशासनिक भवनों के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है। इसके साथ ही, राजस्थान स्टेट पुलिस हाऊसिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन का गठन किया जायेगा।

200. नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग के स्वयंसेवकों (Civil Defence and Homeguard Volunteers) को देय मानदेय में

http://www.finance.rajasthan.gov.in

10 प्रतिशत की वृद्धि करना प्रस्तावित करता हूँ। इन स्वयंसेवकों की, राजकीय कार्यों में नियोजन के दौरान कर्त्तव्य निर्वहन करते हुए, मृत्यु होने पर उन्हें पुलिस कर्मिकों के समान ही 20 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

201. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अनुसंधान प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी दो वर्षों में 16 नई चौकियों एवं 6 नई अनुसंधान इकाइयों का गठन किया जायेगा।

202. भ्रष्टाचार के प्रकरणों में प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से भ्रष्टाचार में लिप्त लोकसेवकों द्वारा आय से अधिक अर्जित की गई संपत्तियों को जप्त कर इन्हें राजकीय संपत्ति घोषित किये जाने एवं ऐसे प्रकरणों का निस्तारण विशिष्ट न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि में करने के प्रावधान सम्मिलित करते हुए 'राजस्थान विशेष न्यायालय बिल–2012' इसी सत्र में लाया जायेगा।

203. राज्य के केन्द्रीय कारागृहों में नये रसोई गृहों एवं विशेष बंदियों हेतु बंदी गृहों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य करवाये जायेंगे। इस हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

न्याय प्रशासनः

204. वर्ष 2011 के अंत तक एसीबी न्यायालयों में 2 हजार से अधिक प्रकरण विचाराधीन थे। अतः प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु 7 नये न्यायालय, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, पाली, अजमेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर एवं अलवर में खोले जायेंगे।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

205. आगामी वर्ष, बानसूर–अलवर, चित्तौड़गढ़, हिण्डोन सिटी–करौली, श्रीमाधोपुर–सीकर तथा राजसमंद में अपर जिला एवं सैशन न्यायालय तथा बाड़मेर, भरतपुर, बूंदी, धौलपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, करौली एवं सिरोही में विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण की स्थापना की जायेगी। इसके अतिरिक्त बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झुंझुनू, सीकर एवं मेड़ता–नागौर में नये मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण स्थापित किये जायेंगे।

राजस्व :

206. बकाया राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की दृष्टि से राज्य में 50 सहायक कलक्टरों के फास्ट ट्रेक न्यायालय स्थापित किये जायेंगे। विभिन्न जिलों से बकाया प्रकरण स्थानान्तरित कर और सहायक कलक्टरों द्वारा जिलों में कैंप आयोजित कर निश्चित समय सीमा में इन प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।

207. वर्तमान में राज्य में काफी संख्या में किसान बटाई पर खेती करते हैं, किंतु खेत पर उनका मालिकाना हक नहीं होने के कारण उन्हें न तो फसली ऋण की सुविधा सुलभ है और न ही कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ मिल पाता है। अतः बटाई पर खेती करने वाले किसानों को फसली ऋण तथा राजकीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न सुविधायें प्राप्त करने के लिए पात्र बनाने हेतु कानूनी प्रावधान करना प्रस्तावित है।

208. माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि भू–अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अब

इसे और आगे बढ़ाया जा रहा है। भू–अभिलेख कंप्यूटरीकरण के तहत राज्य के समस्त गाँवों की जमाबंदियों के कंप्यूटरीकरण के पश्चात् अब पटवारियों को डिजिटल सिगनेचर कार्ड उपलब्ध करवाये जायेंगे। पटवार हलके में जमाबंदी को आदिनांक करने के पश्चात्, तहसील स्तर पर तैयार की गई जमाबंदियों एवं नामांतरणों का अमल करवाकर, डिजिटल सिगनेचर्स शुदा जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, आमजन को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हो पायेगी। इस हेतु I.T. के आवश्यक तंत्र की क्षमता में उचित वृद्धि की जायेगी ताकि आमजन को आदिनांक तक का राजस्व रिकार्ड प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक खाताधारक को जमाबंदी की कंप्यूटरीकृत लेमिनेटेड प्रति उपलब्ध करवाई जायेगी, जिस पर लगभग 5 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे।

209. आगामी वर्ष रूपवास, डीग, लसाड़िया, ऋषभदेव, गिर्वा, पीपलखूट, बाड़मेर, सेडवा, चिड़ावा, बसेड़ी, रोहट, टोडाभीम, लालसोट, दांतारामगढ़, सिकराय, वैर, किशनगढ़–अजमेर, सरवाड़, निवाई एवं इंद्रगढ़ में नये तहसील भवनों का निर्माण करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग के कार्यालय भवनों एवं आवासों के रख–रखाव एवं मरम्मत हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

210. प्रदेश के काश्तकारों को खेतों तक पहुँचने हेतु रास्ते की लंबे समय से चली आ रही समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन करते हुए दिनांक 2 मार्च 2012 को नियम बनाकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। भू–अभिलेख

निरीक्षकों को मौकों की देशांतर व अक्षांश (Longitude and Latitude) स्थिति को अंकित करने हेतु, जीपीएस उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगे जिससे विवादित प्रकरणों से संबंधित मौकों को भौगोलिक दृष्टि से चिन्हित कर, क्षेत्रों का अंकन संभव हो सकेगा।

211. सभी जिलों के कलक्ट्रेट परिसरों में आमजन की सुविधा हेतु 25–25 लाख रुपये की लागत से प्रतीक्षा कक्ष, पानी एवं टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

212. माननीय सदस्यों को विदित है कि गत बजट में, मैंने ग्राम पंचायतों एवं पटवार मंडलों को कोटर्मिनस करने की घोषणा की थी। इसके अनुसरण में समस्त स्थिति का आकलन करने के पश्चात् 800 नये पटवार मंडलों का सृजन करने की मैं घोषणा करता हूँ। इस हेतु आवश्यक पदों का सृजन कर पटवारियों की नियुक्ति की जायेगी।

213. आगामी वर्ष, 24 नई तहसीलों का सृजन किया जायेगा, जिनके नाम इस प्रकार हैं–बूँदी में तालेड़ा, नागौर में रीयांबड़ी, अलवर में नीमराना तथा रैणी, झुंझुनू में मलसीसर तथा सूरजगढ, सीकर में धोद तथा खंडेला, जोधपुर में बावड़ी, बाप, पीपाड़ शहर तथा बालेसर, जालौर में जसवंतपुरा तथा चितलवाना, पाली में रानी, उदयपुर में बड़गांव, बांसवाड़ा में छोटीसरवन, आनन्दपुरी तथा सज्जनगढ़, चित्तौड़गढ़ में भूपालसागर, डूंगरपुर में बिछीवाड़ा, दौसा में नांगलराजावतान, भरतपुर में भुसावर एवं सवाईमाधोपुर में वजीरपुर।

214. साथ ही, अजमेर में टाटगढ़, भीलवाड़ा में करेड़ा तथा बदनोर, नागौर में कुचामन सिटी, धौलपुर में सरमथुरा, सीकर में रामगढ़ सेठान एवं चूरू में बीदासर की अतिरिक्त–तहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

215. आगामी वर्ष स्थापित की जाने वाली नई उप तहसीलें इस प्रकार हैं:–

बाड़मेर में धोरीमन्ना, दौसा में रामगढ़ पचवारा, सिकंदरा, सांथा तथा बांदीकुई, करौली में बालघाट, सीकर में अजीतगढ़ तथा नेछुआ उदयपुर में सायरा, नयागांव, सेमारी तथा फलासिया, झुंझुनू में गुढ़ा गौडजी, अजमेर में सावर तथा श्रीनगर, चित्तौड़गढ़ में बस्सी, भरतपुर में जनुथर, लखनपुर, जुरेहरा तथा रारह, बारां में नाहरगढ़, नागौर में छोटीखाटू, श्रीगंगानगर में लालगढ़ जाटान, मिर्जेवाला, जैतसर तथा रावला, जयपुर में बगरू, टोंक में डिग्गी, डूंगरपुर में साबला, सवाईमाधोपुर में तलावड़ा, कोटा में सुल्तानपुर, हनुमानगढ़ में रामगढ़ एवं भीलवाड़ा में बागौर।

216. प्रदेश में नये जिले स्थापित करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को दृष्टिगत रखते हुए, एक उच्च स्तरीय समिति गठित करना प्रस्तावित है, जो इस विषय में सभी पहलुओं पर विचार करते हुए 6 माह की अवधि में राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में नये जिले स्थापित करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

सैनिक कल्याण:

217. भूतपूर्व सैनिकों, सैनिकों की विधवाओं एवं उनके आश्रितों के कल्याण हेतु 'राजस्थान एक्स सर्विसमेन कॉरपोरेशन' के गठन का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में निजी सहभागिता (PPP) से Ex-servicemen Placement Company के गठन का प्रस्ताव था, किंतु अब इसके स्थान पर सार्वजनिक उपक्रम बनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस निगम को 5 करोड़ रुपये की अंशपूंजी उपलब्ध करवाई जा रही है। निगम के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को राजकीय विभागों एवं उपक्रमों में नियोजित किया जायेगा, साथ ही इनके आश्रितों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाया जायेगा।

218. झुंझुनू में 1 करोड़ 81 लाख रुपये की लागत से सैनिक विश्राम गृह एवं जोधपुर में 6 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से युद्ध–विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र का निर्माण करवाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, जयपुर स्थित सैनिक विश्राम गृह का 2 करोड़ रुपये की लागत से विस्तार करवाया जायेगा।

219. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पेंशन को वर्ष 2010–11 के बजट में 800 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1 हजार 200 रुपये प्रतिमाह किया गया था। अब इस पेंशन राशि को बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मैं धोषणा करता हूँ। लगभग 6 हजार 200 पूर्व सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों की विधवाओं को इससे लाभ होगा।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

स्वतंत्रता सैनानीः

220. स्वतंत्रता सैनानियों को वर्तमान में 15 हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन एवं 1 हजार रुपये प्रतिमाह की चिकित्सा सहायता राशि देय है। इन सैनानियों की पेंशन राशि को बढ़ाकर 17 हजार रुपये एवं चिकित्सा सहायता की राशि को बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मैं घोषणा करता हूँ।

सूचना एवं जनसंपर्क तथा पत्रकार कल्याणः

221. आगामी वर्ष दौसा, हनुमानगढ़, बूंदी एवं राजसमंद में सूचना केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य हाथ में लिया जायेगा। इन भवनों के निर्माण पर लगभग 3 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी।

222. अधिस्वीकृत पत्रकारों को मेडिक्लेम और दुर्घटना समूह बीमा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रीमियम राशि में से, 75 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तथा शेष 25 प्रतिशत संबंधित पत्रकार द्वारा वहन किया जाता है। आगामी वर्ष से मेडिक्लेम पॉलिसी की राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये तथा प्रीमियम राशि का 90 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाने की मैं घोषणा करता हूँ।

कर्मचारी कल्याणः

223. यात्रा भत्ता नियमों के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों को देय विराम भत्ते (Halting Allowance) की दरों में संशोधन किया जायेगा।

224. दिनांक 1 जनवरी 2004 तथा उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मियों हेतु जारी की जा रही मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत राज्य

कर्मचारी एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा राजकीय एवं अनुमोदित चिकित्सालयों में चिकित्सा प्राप्त करने पर अधिकतम 1 लाख रुपये तक के दावों का पुनःभरण किया जाता है। इस अधिकतम राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की मैं घोषणा करता हूँ। इन राज्य कर्मचारियों को पेंशन नियमों के नियम 75 एवं 76 के अंतर्गत देय एक्सग्रेशिया हेतु भी पात्र बनाया गया है।

225. पेंशनर्स द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाने के पश्चात् ही वर्तमान प्रावधानों के अनुसार राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा सुलभ होती है। आगामी वर्ष से, इस शुल्क को, समाप्त करने की मैं घोषणा करता हूँ।

226. नर्सों, वाहन चालकों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं अन्य तकनीकी कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जा रही वर्दियों एवं धुलाई भत्ते की दरों में काफी समय से संशोधन नहीं हुआ है। मूल्यवृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए, 10 रुपये प्रतिमाह के धुलाई भत्ते को बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिमाह करना प्रस्तावित है। इसी प्रकार वर्दियों हेतु निर्धारित दरों को बढ़ाकर;

* नर्सों हेतु 948 रुपये से 1 हजार 500 रुपये,
* सचिवालय के जमादारों हेतु 944 रुपये से 1 हजार 500 रुपये,
* अन्य विभागों के जमादारों हेतु 658 रुपये से 1 हजार 200 रुपये,
* ड्राइवरों हेतु 667 रुपये से 1 हजार 200 रुपये,
* चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु 543 रुपये से 1 हजार 100 रुपये,
* महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु 762 रुपये से 1 हजार 300 रुपये,

किया जाना प्रस्तावित है।

227. इसके अतिरिक्त, जीएनएम को देय मैस–भत्ते की दर 400 रुपये प्रतिमाह और एएनएम को देय मैस–भत्ते की दर 200 रुपये प्रतिमाह करना प्रस्तावित है।

228. दृष्टिहीन एवं विशेष योग्यजन राज्य कर्मचारियों को वर्तमान में मूल वेतन का 3 प्रतिशत और अधिकतम 300 रुपये प्रतिमाह का सवारी भत्ता देय है। इसे बढ़ाकर दुगुना किया जाना प्रस्तावित है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

कर प्रस्ताव

229. अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से अपने कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

230. प्रत्येक वर्ष की भाँति, मैंने इस वर्ष भी **Tax Advisory Committee** के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर कृषकों, सामाजिक संगठनों, उद्यमियों एवं विभिन्न व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनकी अपेक्षाओं का यथासम्भव बजट में समावेश करने का प्रयास किया है।

231. मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि, इस वर्ष, कर राजस्व में 24 प्रतिशत एवं गैर कर राजस्व में 54 प्रतिशत वृद्धि सम्भावित है। इस वृद्धि के लिये मैं, राज्य के कर दाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ तथा सम्बन्धित विभागों को बधाई देता हूँ।

232. मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये पिछले 3 बजटों में कर संग्रहण प्रक्रियाओं को निरन्तर सरल बनाते हुए आम नागरिकों की आवश्यकता की वस्तुओं जैसे गेहूँ, चावल, आटा, दाल, केरोसिन, इमारती पत्थर, साड़ियाँ, न्यूज प्रिंट आदि के साथ **DTH, Cable TV** एवं सिनेमा उद्योग पर करों का भार कम किया गया है तथा स्टाम्प ड्यूटी की दरों में भी कमी कर राज्य के नागरिकों को राहत दी गई है।

233. इसी का सुपरिणाम है कि, राज्य के प्रत्येक करदाता ने स्वप्रेरणा से आगे आकर अपना योगदान प्रदान किया है तथा करों में छूट देने के उपरान्त भी राजस्व में समुचित वृद्धि प्राप्त हुई है। इससे राज्य में विकास और खुशहाली का वातावरण बना है।

234. अध्यक्ष महोदय, इसी परिप्रेक्ष्य में, मैं सरकार की वर्तमान सर्वग्राह्य कर प्रणाली को और अधिक सरल, पारदर्शी एवं मजबूत बनाने के उद्देश्य से अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

वैट अधिनियमः

235. व्यवहारियों एवं उद्यमियों की सुविधा के लिये वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अनेक अभिनव प्रयोग किये जा रहे हैं, जिसमें आई.टी.सी. **(Input Tax Credit)** सत्यापन हेतु क्लीयरिंग हाउस की व्यवस्था प्रमुख है। मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि, इस व्यवस्था के अन्तर्गत 2 वर्षों में लगभग 1200 करोड़ रूपये की आई.टी.सी. का सत्यापन किया गया है।

236. मैंने, गत वर्ष कर निर्धारण प्रक्रिया में, विभाग व व्यवहारियों के समय की बचत के उद्देश्य से, उन पर अधिरोपित होने वाली पेनल्टी एवं ब्याज माफ करते हुए डीम्ड **(Deemed)** कर निर्धारण संबंधी घोषणा की थी। इसका लाभ 2 लाख 16 हजार से अधिक व्यवहारियों को मिला तथा उद्योग एवं व्यापार जगत द्वारा इस कदम की सराहना भी की गई है। इसी क्रम में मेरे कुछ और प्रस्ताव प्रस्तुत हैं।

- आगामी वित्तीय वर्ष में व्यवहारियों के वर्ष 2010–11 के कर निर्धारण किये जाने हैं। मैं वर्ष 2010–11 की सभी रिटर्न प्रस्तुत करने की समयावधि 30 अप्रेल, 2012 तक बढ़ाना प्रस्तावित करता हूँ। इससे उक्त तिथि तक देय कर एवं ब्याज सहित सभी रिटर्न जमा कराने पर व्यवहारी डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी में आ जायेंगे।
- इसके साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष से देय कर, ब्याज व लेटफीस के साथ ही रिटर्न स्वीकार किये जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इससे कर निर्धारण प्रक्रिया का और सरलीकरण होने के साथ–साथ अधिक से अधिक व्यवहारी डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी में आ सकेंगे।

237. अब मैं वैट संग्रहण प्रक्रिया के संबंध में सरलीकरण एवं सुधार के कुछ और प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

- जिन व्यवहारियों ने गत वर्ष में 50,000 रूपये से कम वार्षिक कर जमा कराया है उनकी सुविधा के लिए त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करने की समय सीमा को 45 दिवस से बढ़ाकर 60 दिवस किया जाना प्रस्तावित है।
- वर्तमान में, त्रैमासिक रिटर्न को ही संशोधित किया जा सकता है। अब वार्षिक रिटर्न को भी संशोधित कर सकने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
- उद्योग एवं व्यापार जगत की मांग पर मैंने वर्ष 2010–11 के बजट में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि में

बढ़ोतरी की थी। इसी क्रम में, वार्षिक रिटर्न एवं ऑडिट रिपोर्ट में एकरूपता रखते हुए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि भी 31 जनवरी किया जाना प्रस्तावित है।

- इसी प्रकार, मैंने वर्ष 2010–11 के बजट में ही व्यवहारी द्वारा दायर प्रथम अपील का निर्णय 1 वर्ष की अवधि में किये जाने संबंधी घोषणा की थी। इसी क्रम में, अपील निर्णय एवं स्थगन में समरूपता रखते हुए, स्थगन की समय–सीमा को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।
- वर्तमान में, व्यवहारी द्वारा निर्धारित अवधि में त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं किये जाने पर, कर निर्धारण में कठिनाईयां आ रही हैं। इसके निराकरण के लिये प्रावधान किये जाने प्रस्तावित हैं।
- केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में इसी वित्तीय वर्ष से **GST Network (GSTN)** स्थापित करने की घोषणा की है। **GSTN** सभी राज्यों के लिये समान **PAN**–आधारित पंजीकरण, रिटर्न तथा कर जमा कराने संबंधी व्यवस्था लागू करेगा। इसी क्रम में राज्य के व्यवहारियों से **PAN** सहित कुछ अन्य सूचनाऐं प्राप्त करने हेतु नियमों में संशोधन प्रस्तावित है। इसके साथ ही पंजीयन प्रार्थना–पत्र एवं रिटर्न में भी संशोधन प्रस्तावित हैं।
- निर्यातकों की सुविधा हेतु घोषणा पत्र वैट–15 को वैबसाईट के माध्यम से प्राप्त करने की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

- 5 लाख रूपये से अधिक वार्षिक कर देने वाले व्यवहारियों के लिये **e-payment** अनिवार्य करने के अच्छे परिणामों को देखते हुए अगले चरण में 5 लाख रूपये की इस सीमा को 1 लाख किया जाना प्रस्तावित है।

238. इसी क्रम में, अब मैं वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट **(Works Contract)** तथा कम्पोजिशन स्कीम के संबंध में कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

- वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट के कर मुक्ति प्रमाण–पत्र विभागीय वैबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन जारी करने की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।
- वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट की 0.25 प्रतिशत की वर्तमान मुक्ति शुल्क श्रेणी को यथावत रखते हुए वर्तमान में प्रचलित 4 प्रकार की श्रेणियों को घटाकर 3 किया जाना प्रस्तावित है।
- इसी क्रम में सड़क, रेल्वे ट्रेक, डैम, पुल, रनवे, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की ई.पी.सी. टर्न की **(EPC Turn key)** परियोजनाओं आदि सहित कुल 16 चिन्हित वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट को 1 प्रतिशत एवं अन्य सभी वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट को 3 प्रतिशत की मुक्ति शुल्क श्रेणी में रखा जाना प्रस्तावित है।
- कम्पोजिशन राशि देरी से जमा कराने पर होने वाली कठिनाई के निराकरण के लिये, सर्राफा एवं जैम स्टोन कम्पोजिशन स्कीम में, संशोधन कर, स्कीम का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

- सर्राफा एवं जैम स्टोन कम्पोजिशन स्कीम में, वर्तमान कम्पोजिशन स्लेब्स के साथ–साथ, कम्पोजिशन राशि में वार्षिक वृद्धि की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। नवीन व्यवस्था में, टर्नओवर के आधार पर कम्पोजिशन राशि, प्रति 2 लाख रूपये या उसके भाग पर 500 रूपये, निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।
- इसी क्रम में टैन्ट डीलर्स कम्पोजिशन स्कीम में भी आगामी वर्षों के लिये कम्पोजिशन राशि प्रति 2 लाख रूपये या उसके भाग पर 500 रूपये, निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रवेश कर (Goods) एवं विलासिता कर:

239. अब मैं प्रवेश कर एवं विलासिता कर से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

- वैट अधिनियम की डीम्ड कर निर्धारण व्यवस्था के अच्छे परिणामों को देखते हुए, इस व्यवस्था को आगामी वर्षों से प्रवेश कर एवं विलासिता कर अधिनियमों के अन्तर्गत भी लागू किया जाना प्रस्तावित है।

- राज्य के स्थानीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से एक्सप्लोसिव **(Explosive)** पर प्रवेश कर की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने के साथ–साथ यार्न **(Yarn)** पर भी 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है। यदि इन वस्तुओं पर राज्य में वैट चुका दिया जाता है तो इन पर प्रवेश कर से छूट मिलेगी।

- व्यवहारियों की सुविधा के लिये प्रवेश कर एवं विलासिता कर अधिनियमों के कुछ प्रावधानों को वैट अधिनियम के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है।
- साथ ही इन अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवहारियों की सुविधा के लिए ई–रिटर्न व ई–पेमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

240. मुझे आशा है कि इन ई–सुविधाओं के विस्तार, प्रक्रिया के सरलीकरण, उद्योग एवं व्यापार जगत के सरंक्षण तथा व्यवहारियों की सुविधाओं से संबंधित प्रस्तावों से उद्योग एवं व्यापार जगत लाभान्वित होगा।

पंजीयन एवं मुद्रांक:

241. वर्ष 2007 में ''कहीं भी पंजीयन योजना'' का विस्तार करते हुए सम्पूर्ण राज्य में लागू किया गया था, परन्तु कुछ स्थानों से इसके दुरूपयोग एवं आम नागरिकों के साथ धोखाधड़ी के प्रकरण सामने आये है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, इस योजना को सीमित रूप में जारी रखा जाना प्रस्तावित है।

242. कृषि भूमि के दस्तावेजों के पंजीयन संबंधी व्यवस्था के साथ–साथ समग्र पंजीयन व्यवस्था को सरल एवं गतिशील बनाने के उद्देश्य से मेरे प्रस्ताव निम्न प्रकार हैं।

- संबंधित पटवारी की पंजीयन पूर्व मौका रिपोर्ट के आधार पर तत्काल पंजीयन करने के प्रावधान किये जाने प्रस्तावित हैं।
- पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या एवं आय को आधार मानते हुए मैं, जसोल, निम्बाहेड़ा, पोकरण, शिवगंज, तिवरी, फलौदी, सोजत, देसूरी, बाली, नोखा, रामगढ़ (अलवर), नवलगढ़, सुजानगढ़, निवाई, दाँतारामगढ़, नीमकाथाना, मावली, नाथद्वारा, कुचामन सिटी एवं सांचौर के 20 अंशकालिक उप पंजीयक कार्यालयों के स्थान पर नवीन पूर्णकालिक कार्यालयों के सृजन की घोषणा करता हूँ।
- इसके साथ ही मैं, प्रत्येक पूर्णकालिक उप पंजीयक कार्यालय में मौका निरीक्षण, राजस्व वसूली आदि कार्यों के लिये गिरदावर के 88 नवीन पद सृजित किये जाने की घोषणा करता हूँ।

भूमिकरः

243. सरलीकरण की इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए अब भूमिकर से सम्बन्धित निम्न संशोधन प्रस्तावित हैं।

- वर्तमान में भूमिकर के मामलों में अपील दायर करने पर निर्धारित कर राशि का 50 प्रतिशत जमा कराना अनिवार्य है। ऐसे मामलों में पक्षकारों को राहत देते हुए इस राशि को घटाकर 25 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

- इसके साथ ही भूमिकर से संबंधित मामलों में रिवीजन के प्रावधानों को समाप्त कर राजस्थान टैक्स बोर्ड में द्वितीय अपील के प्रावधान किये जाने प्रस्तावित हैं।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियमः

244. करापवंचन **(Tax Evasion)** की सम्भावना को रोकने एवं राजस्व बढाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टाम्प अधिनियम में कुछ संशोधन किये जाने प्रस्तावित हैं।

- अचल सम्पति से सम्बन्धित **Partnership, Settlement** एवं **Trust** के दस्तावेजों से संबंधित प्रावधानों के क्षेत्र को विस्तृत एवं स्पष्ट करते हुए इन पर देय स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधानों को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

- इसी प्रकार का संशोधन, अचल सम्पति पर निर्माण, विकास, विक्रय या हस्तान्तरण के लिये प्रमोटर अथवा विकासकर्ता के पक्ष में निष्पादित पॉवर ऑफ अटॉर्नी अथवा एग्रीमेंट के दस्तावेजों और इन पर देय स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधानों में भी किया जाना प्रस्तावित है।

- **Agreement** के प्रावधानों को संशोधित करते हुए **BOT** आदि आधारित परियोजनाओं से संबंधित **Agreement** पर 0.2 प्रतिशत से स्टाम्प ड्यूटी अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है।

245. वर्तमान में गैर–बैंकिग कम्पनियों के अमलगमेशन **(Amalgamation)** बाबत उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर रियायती दर पर स्टाम्प ड्यूटी देय है। इस रियायती दर का लाभ बैंकिग कम्पनियों के अमलगमेशन के आदेशों के संबंध में भी दिये जाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टाम्प अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प नियमः

246. भूमि के मूल्यांकन संबंधी प्रावधानों में स्पष्टता लाने एवं विवेकाधिकार की सम्भावना को सीमित करने के उद्देश्य से राजस्थान स्टाम्प नियमों में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं।

- भूमि के मूल्यांकन की दरें मैट्रिक प्रणाली में निर्धारित करने की दिशा में कदम उठाये जाने प्रस्तावित हैं।
- **Company** एवं **Partnership Firm** द्वारा कृषि भूमि क्रय किये जाने पर क्रय प्रयोजन एवं जिन शहरों में मास्टर प्लान स्वीकृत है, वहां भूमि के दर्शाये गये प्रयोजन के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा भूमि की दर निर्धारित किये जाने के प्रावधान किये जाने प्रस्तावित हैं।
- खनन प्रयोजनों के लिये आवंटित भूमि की दरें कृषि भूमि से भिन्न निर्धारित करने के साथ–साथ नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे या मेगा हाइवे के समीपवर्ती कृषि भूमि के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित है।

247. सभी प्रकार की भूमि की डी.एल.सी. दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

कर दरों में राहतः

वैट–

248. राज्य में निवेश के वातावरण, उद्योगों के सरंक्षण एवं नागरिकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए मैं वैट दरों में राहत के प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

- रिन्युऐबल एनर्जी **(Renewable Energy)** के स्रोत **(Source)** पर्यावरण के अनुकूल एवं स्थायी है, जिनकी राजस्थान में विपुल सम्भावनाऐं हैं। अतः इस क्षेत्र में निवेश को आकृष्ट करने के लिये मैं सोलर, पवन एवं **Bio mass** ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के काम में आने वाले प्लांट एवं मशीनरी तथा उनके पार्टस् को करमुक्त करने की घोषणा करता हूँ।
- मैने पूर्व में कागज, कपड़ा, जूट आदि से बनने वाले **Carry Bags** विनिर्माताओं को कर से छूट दी थी। इन **Carry Bags** में पुराने अखबार आदि भी प्रयुक्त होते हैं, जो कि **Waste Paper** की श्रेणी में आने के कारण 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः मैं **Waste Paper** को करमुक्त करने की घोषणा करता हूँ।

- **ATM (Automated Teller machine)** को वैट अनुसूची में **IT Products** के अन्तर्गत अधिसूचित करते हुए, मैं इस पर वैट दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ।
- इसी क्रम में अन्य राज्यों में 5 प्रतिशत कर दर होने के कारण, मैं स्थानीय उद्योग को राहत देते हुए, ऑटो मोबाईल बॉडीज एवं टोनर पर वैट दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ।
- इसी के साथ मैं टैन्ट, तिरपाल, धूप के चश्मों तथा हैण्डीक्राफ्ट के विनिर्माण के लिये खरीदे जाने वाले वुड ग्लू पर वैट दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ।

- मैंने पूर्व में रसोई गैस पर 25 रूपये प्रति सिलेण्डर की **subsidy** दी है तथा डीजल पर 54 पैसे प्रति लीटर की छूट प्रदान की है। इसके साथ ही केरोसिन को भी करमुक्त किया है। डीजल, केरोसिन एवं रसोई गैस के साथ–साथ पैट्रोल राज्य के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकता की वस्तु हैं। इसी क्रम में आम नागरिकों को और राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मैं पैट्रोल पर वैट की दर को घटाकर 26 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ।

परिवहन–

249. अब मैं, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम के अंतर्गत कर दरों में राहत के प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

- मैंने वर्ष 2010–11 में 100 सी.सी. इंजन क्षमता तक के गैर–परिवहन दुपहिया वाहनों पर एकबारीय कर की दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया था। इसे यथावत रखते हुए मैं अब 125 सी.सी. इंजन क्षमता तक के दुपहिया वाहनों पर लागू एकबारीय कर की दर को भी 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ।

- इसी क्रम में, 125 सी.सी. से अधिक इंजन क्षमता वाले दुपहिया वाहनों पर लागू एकबारीय कर की वर्तमान दर को भी 8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ।

- साथ ही अधिक मूल्य के चार पहिया वाहनों के व्यापार का राज्य से पलायन रोकने के लिये मैं 10 लाख से अधिक मूल्य के गैर–परिवहन चार पहिया वाहनों पर एकबारीय कर की दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ।

मनोरंजन कर–

250. मैंने गत वर्ष सिनेमा, **DTH** एवं **Cable TV** को मनोरंजन कर से पूर्ण छूट प्रदान की थी। इसी क्रम में, मैं मनोरंजन कर के दायरे में आने वाली समस्त गतिविधियों को मनोरंजन कर से मुक्त करने की घोषणा करता हूँ।

251. अब मैं, राजस्व एवं उपनिवेशन तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से सम्बन्धित राहत के कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

राजस्व एवं उपनिवेशन :

252. राज्य सरकार ने समय–समय पर उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों को आवंटित भूमि के पेटे बकाया किश्तों को एक मुश्त जमा करवाये जाने पर ब्याज में छूट प्रदान की है। मैं किसानों के हित में प्रस्तावित करता हूँ कि बकाया किश्तों को 30 सितम्बर, 2012 तक एक मुश्त जमा करवाये जाने पर सभी श्रेणियों के आवंटियों को ब्याज में शत–प्रतिशत छूट मिलेगी।

नगरीय विकास एवं आवासन :

253. राज्य के नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से मैं प्रस्तावित करता हूँ कि, स्थानीय निकायों, नगर विकास न्यास, राजस्थान आवासन मण्डल तथा जयपुर एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण की तरफ बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा बकाया एवं आगामी समस्त वर्षों की देय लीज राशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज में शत–प्रतिशत छूट दी जायेगी। इस हेतु दिनांक 30 जून, 2012 तक आवेदन करना होगा तथा लीज राशि को जमा कराने की अन्तिम तिथी 30 सितम्बर, 2012 होगी।

अतिरिक्त कर प्रस्तावः

254. मैंने अपने पहले बजट एवं गत वर्ष के बजट में तम्बाकू एवं पान मसाला के सेवन को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से इन वस्तुओं पर कर दर में बढ़ोतरी की थी। हमारे इस प्रयास को भारत सरकार ने सराहते हुए अन्य राज्यों को अपने प्रदेश में तम्बाकू उत्पादों पर अधिक वैट अधिरोपित करने का आग्रह किया है। इसी क्रम में राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धत्ता को दोहराते हुए मैं, पान मसाला, तम्बाकू व तम्बाकू उत्पादों पर वैट की दर 40 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करता हूँ।

255. मेरे इन कर प्रस्तावों से लगभग 300 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय सम्भावित है, तथा 225 करोड़ रूपये से अधिक की राहत दी गई है।

256. इन प्रस्तावों के साथ ही कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित हैं, जिनके विस्तृत उद्देश्य एवं प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।

257. साथ ही मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों एवं घोषणाओं की क्रियान्विति हेतु तथा कुछ वस्तुओं में कर संबंधी संशोधन एवं अन्य प्रयोजनार्थ भी कुछ अधिसूचनाएं जारी कर सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

वर्ष 2011–12 के संशोधित अनुमानः

258. वर्ष 2011–12 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

1.	राजस्व प्राप्तियां	56 हजार 121 करोड़ 13 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय	55 हजार 677 करोड़ 89 लाख रुपये
3.	राजस्व आधिक्य	443 करोड़ 24 लाख रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	12 हजार 471 करोड़ 35 लाख रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय	12 हजार 852 करोड़ 19 लाख रुपये
6.	पूंजी खाते में घाटा	380 करोड़ 84 लाख रुपये
7.	बजटीय आधिक्य	62 करोड़ 40 लाख रुपये
8.	राजकोषीय घाटा	7 हजार 687 करोड़ 43 लाख रुपये

वर्ष 2012–13 के बजट अनुमानः

259. वर्ष 2012–13 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

1.	राजस्व प्राप्तियां	63 हजार 146 करोड़ 83 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय	62 हजार 219 करोड़ 22 लाख रुपये
3.	राजस्व आधिक्य	927 करोड़ 61 लाख रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	13 हजार 925 करोड़ 02 लाख रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय	14 हजार 456 करोड़ 01 लाख रुपये
6.	पूंजी खाते में घाटा	530 करोड़ 99 लाख रुपये
7.	बजटीय आधिक्य	396 करोड़ 62 लाख रुपये
8.	राजकोषीय घाटा	8 हजार 650 करोड़ 60 लाख रुपये

260. आगामी वर्ष का राजस्व आधिक्य कुल राजस्व प्राप्तियों का 1.47 प्रतिशत व राजकोषीय घाटा GSDP का 2.14 प्रतिशत रहना संभावित है।

261. यहाँ मैं माननीय सदन के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु का उल्लेख करना चाहूँगा। विधायी व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दृष्टि से हमारे राज्य में भी द्वितीय सदन स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। द्वितीय सदन के रूप में केन्द्र में राज्यसभा तथा कतिपय राज्यों में विधान परिषदों का एक गरिमामय स्थान रहा है तथा विधायी कार्यों में इनकी भूमिका सराहनीय रही है। **अतः हमारी मंशा है कि हमारे प्रदेश में भी विधान परिषद का गठन किया जाये।** विधान परिषद के गठन के लिए संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार औपचारिक प्रस्ताव पृथक से लाया जायेगा।

262. मैं वर्ष 2012—13 का, वार्षिक वित्तीय विवरण, सभा पटल पर रख रहा हूँ। साथ ही मैं राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 की अपेक्षानुसार मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण एवं प्रकटीकरण विवरण, सभा पटल पर रख रहा हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं। चूंकि सदन के पास वर्तमान वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व बजट अनुमानों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं है, अतः मैं वित्तीय वर्ष 2012—13 के पहले 3 माह की अवधि के लिए, अर्थात 30 जून 2012 तक के लिए, व्यय हेतु लेखानुदान की मांग कर रहा हूँ।

263. अब अंत में, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के इन शब्दों के साथ सबका आव्हान करना चाहूँगा किः–

हे ईश्वर !

आप मनुष्य की सहायता तभी करते हैं, जब वह अत्यंत विनयशील बन जाता है। हमें आशीर्वाद प्रदान करो, ताकि हम आम लोगों से एक पल भी दूर नहीं हो सकें। हम स्वयं को आमजन का सेवक और मित्र मानकर उसकी सेवा करेंगे। आइये ! हम सभी बलिदान की प्रतिमूर्ति बनें, उस महान ईश्वर की प्रतिमूर्ति बनें, और विनयशीलता का जीता–जागता उदाहरण बनें, ताकि हम अपनी मातृभूमि को भली–भांति जान सकें तथा इससे और अधिक प्रेम कर सकें।

O God !

Who does help only when man
feels utterly humble, Grant that we
may not be isolated from the people
We would serve as servants and friends.
Let us be embodiments of self sacrifices
embodiments of godliness
humility personified that we may know
the land better and love it more.

264. इन भावनाओं के साथ, मैं बजट प्रस्तावों को मय–लेखानुदान प्रस्तावों के स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।